राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

स्वतंत्र प्रभात

@swatantraprabhatmedia @swatantramedia RNI.No. UHIN/2012/43078 (epaper.swatantraprabhat.com) @SwatantraPrabhatonline news@swatantraprabhat.com

सीतापुर से प्रकाशित एंव अयोध्या ,प्रयागराज ,मिर्जापर ,गोरखपुर , बरेली ,बुंदेलखंड , उत्तराखंड , देहरादून

सीतापुर, शुक्रवार, 01 मई 2026

वर्ष 14, अंक 21, पृष्ट 04, मूल्यः 01 रुपया

www.swatantraprabhat.com

गाज़ियाबाद , दिल्ली , हरियाणा , चंडीगढ़ , झारखण्ड , बिहार , मध्य प्रदेश ,असम, तेलंगाना आदि जनपदो में प्रसारित

स्वतंत्र प्रभात दैनिक अख़बार तथा ऑनलाइन चैनल से सीधा जुड़ने के लिए संपर्क करें.....
9511151254

सोशल मीडिया से उठी आवाज...03

जमीन अधिग्रहण को चुनौती देने वाली मदरसा की याचिका खारिज..04

कलकत्ता हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, काउंटिंग सुपरवाइजर पर टीएमसी की याचिका खारिज

» कलकत्ता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में केंद्रीय कर्मचारियों को मतगणना सुपरवाइजर नियुत करने के चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती देने वाली टीएमसी की याचिका खारिज कर दी है

» कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग को यह अधिकार है और केंद्र सरकार के कर्मचारियों पर भाजपा के पक्ष में काम करने का टीएमसी का आरोप निराधार है

» न्यायालय ने ईसीआई के निर्णय को सही ठहराया।

कलकत्ता हाई कोर्ट ने गुरुवार को तृणमूल कांग्रेस की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनावों के लिए सिर्फ केंद्र सरकार के कर्मचारियों को वोट काउंटिंग सुपरवाइजर के तौर पर तैनात करने के चीफ इलेक्शन ऑफिसर के फैसले के खिलाफ याचिका दायर की गई थी. जस्टिस कृष्ण राव ने टीएमसी के इस आरोप को खारिज कर दिया कि केंद्र सरकार के कर्मचारी केंद्र में सत्ता में मौजूद भारतीय जनता पार्टी के सुझाव और कंट्रोल के असर में आ सकते हैं। कोर्ट ने कहा, 'सिर्फ काउंटिंग सुपरवाइजर और काउंटिंग असिस्टेंट ही काउंटिंग रूम में नहीं होंगे. माइक्रो ऑब्ज़र्वर, चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों के काउंटिंग एजेंट और काउंटिंग कर्मचारी भी काउंटिंग रूम में होंगे. इसलिए, पिटीशनर के आरोप पर यकीन करना नामुमकिन है।

कोर्ट ने यह भी कहा कि काउंटिंग सुपरवाइजर और काउंटिंग असिस्टेंट को नियुक्त करना, चाहे वह राज्य सरकार से हो या केंद्र सरकार से, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का अधिकार है।

नियुक्ति अवैध नहीं... हाईकोर्ट का फैसला

बेंच ने कहा, 'इस कोर्ट को राज्य सरकार के कर्मचारी के बजाय केंद्र सरकार/केंद्रीय पीएसयू कर्मचारी से काउंटिंग सुपरवाइजर और काउंटिंग असिस्टेंट नियुक्त करने में कोई गैर-कानूनी बात नहीं लगती।' कोर्ट ने आगे कहा कि अगर टीएमसी को लगता है कि केंद्र सरकार के कर्मचारी वास्तविक उम्मीदवारों का पक्ष ले रहे हैं, तो वे बाद में नतीजों को चुनौती देने के लिए चुनाव याचिका दायर कर सकते हैं.

बेंच ने कहा, 'अगर याचिकाकर्ता यह साबित कर देता है कि काउंटिंग सुपरवाइजर और काउंटिंग असिस्टेंट के तौर पर नियुक्त केंद्र सरकार/केंद्रीय पीएसयू कर्मचारियों ने वोटों की गिनती के दौरान वोटों में हेरफेर करके याचिकाकर्ता के विरोधी की मदद की, तो याचिकाकर्ता को चुनाव याचिका में सभी बातें रखने की आजादी है।'

चुनाव आयोग के फैसले को दी थी चुनौती

ईसीआई के अनुसार, पश्चिम बंगाल में हाल ही में हुए राज्य विधानसभा चुनावों के दो चरणों के दौरान कुल मतदान प्रतिशत 92.47 प्रतिशत था. वोटों की गिनती 4 मई को होगी।

आज दायर एक पिटीशन में, टीएमसी ने एडिशनल चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के उस ऑर्डर को चुनौती दी जिसमें कहा गया था कि हर काउंटिंग टेबल पर काउंटिंग सुपरवाइज़र और काउंटिंग असिस्टेंट में से कम से कम एक सेंट्रल गवर्नमेंट/सेंट्रल पीएसयू का कर्मचारी होगा।

टीएमसी की तरफ से सीनियर एडवोकेट कल्याण बंदोपाध्याय ने दलील दी कि एडिशनल चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के पास ऐसा ऑर्डर पास करने का कोई अधिकार नहीं है. इलेक्ट्रॉनिक अधिकारियों की तरफ से सीनियर एडवोकेट जिष्णु चौधरी ने कहा कि सभी अपॉइंटमेंट प्रोसीजर के हिसाब से किए गए हैं।

सीसीटीवी और पर्यवेक्षकों जैसे सुरक्षा उपाय मौजूद

उन्होंने कहा कि कोई एक पॉलिटिकल पार्टी ईसीआई की समझदारी पर सवाल नहीं उठा सकती. चौधरी ने आगे कहा कि ईसीआई किसी भी गलत काम के आरोपों से बचने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों को प्राथमिकता देता है। इन दलीलों पर विचार करते हुए, कोर्ट ने कहा कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट, 1951 का सेक्शन 19 इलेक्शन कमीशन के कामों को सौंपने का प्रावधान करता है. बेंच ने कहा कि इस तरह, यह नहीं कहा जा सकता कि एडिशनल चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के पास ऐसा ऑर्डर जारी करने का अधिकार नहीं है.गिनती सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में होनी है. कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा, 'ऊपर बताई गई बातों को देखते हुए, इस कोर्ट को इस रिट एप्लीकेशन में कोई दम नहीं दिखता।

'मेरी पत्नी का 3 मर्दों से संबंध'... हुसैन सागर में कूद सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने दी जान

● लिखा 19 पन्नों का सुसाइड नोट

● हैदराबाद में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने आत्महत्या कर ली. 19 पन्नों के सुसाइड नोट में पत्नी पर कथित अवैध संबंधों के आरोप लगाए गए हैं. पुलिस ने मामले में तीन लोगों को हिरासत में लेकर डिजिटल साक्ष्यों की जांच शुरू कर दी है

तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद के बचुपल्ली इलाके में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर द्वारा आत्महत्या करने का मामला सामने आया है. मृतक की पहचान आंध्र प्रदेश के मरकापुरम निवासी सीताराम के रूप में हुई है, जो एक निजी कंपनी में कार्यरत था. पुलिस के अनुसार, सीताराम ने फरवरी महीने में 19 पन्नों का सुसाइड नोट लिखने के बाद हुसैन सागर झील में कूदकर आत्महत्या कर ली।

सुसाइड नोट में सीताराम ने अपनी पत्नी पर कथित तौर पर तीन लोगों के साथ संबंध होने का आरोप लगाया और इसे अपनी मौत की वजह बताया. पुलिस जांच में सामने आया कि सीताराम की शादी वर्ष 2018 में नांदयाल निवासी एक महिला से हुई थी. दोनों हैदराबाद में रह रहे थे. सुसाइड नोट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने सीताराम की पत्नी समेत तीन लोगों को हिरासत में लिया है।

जांच में जुटी हैदराबाद पुलिस

जांच अधिकारियों के मुताबिक, मामले में डिजिटल साक्ष्यों और सोशल मीडिया गतिविधियों की भी जांच की जा रही है. पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कथित वीडियो और ऑनलाइन पोस्टिंग से जुड़े तथ्य क्या हैं और इनमें किन लोगों की भूमिका है. फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर विस्तृत जांच शुरू कर दी है और सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए आगे की कार्रवाई की जा रही है।

बताया जा रहा कि सीताराम की पत्नी के अवैध संबंधों के कुछ वीडियो इंस्टा पर पोस्ट किए गए थे. जब सीताराम ने इन वीडियो को देखा तो बर्दाश्त नहीं कर सका. फिर उसने एक सुसाइड नोट लिखकर आत्महत्या कर लिया. इस सुसाइड नोट में लिखा था कि उसकी पत्नी का तीन आदमियों रमना रेड्डी, श्रवण और एक अन्य के साथ अवैध संबंध है।

19 पेज के सुसाइड नोट में क्या लिखा?

'मेरी पत्नी के नाजायज रिश्ते मेरी मौत की वजह हैं. करीब डेढ़ साल से तीन लोगों के साथ उसके नाजायज रिश्ते थे। उसने वो वीडियो तब रिकॉर्ड किए, जब वह किसी के साथ प्राइवेट में थी। कोई लड़की प्राइवेट वीडियो रिकॉर्ड क्यों करती है? उस व्यक्ति ने वो वीडियो इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया था. उस व्यक्ति नाम रमना है. इंस्टा पर उसके दो हजार फॉलोअर्स हैं. उन वीडियो को देखने के बाद मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता हूं? उस वीडियो को देखने के बाद मुझे अपनी पत्नी का असली रूप पता चला।

'मैंने अपनी पत्नी को किसी भी तरह का कमी नहीं आने दिया, फिर भी उसने मुझे धोखा दिया. जब मैं घर पर नहीं होता था तो रमना कई बार मेरे घर आया और पत्नी के साथ समय बीतता था. पत्नी असल में क्या चाहती है? प्रेम या शारीरिक संबंध... अगर उसे यही चाहिए तो किसी भी लड़की को अपने अवैध संबंध के ऐसे वीडियो रिकॉर्ड नहीं करने चाहिए।

संक्षिप्त ख़बरें

भारतीय नेपाल जाकर क्यों भरवा रहे पेट्रोल-डीजल? लग रही लंबी-लंबी लाइनें

शोहरतगढ़ (सिद्धार्थनगर)। क्षेत्र में पेट्रोल और डीजल की किल्लत ने आमजन की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। तीन दिनों से अधिकांश पेट्रोल पंप सूखे पड़े हैं, जिससे वाहन चालकों को लंबी कतारों में घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। परेशान लोग मजबूरी में पड़ोसी देश नेपाल जाकर अधिक कीमत पर ईंधन भरवा रहे हैं। नेपाल में डीजल 146 रुपये और पेट्रोल 134 रुपये प्रति लीटर भारतीय मुद्रा में मिल रहा है। बावजूद इसके लोग वहीं से तेल लेने को विवश हैं। बुधवार सुबह जैसे ही अग्रवाल पेट्रोल पंप पर टैंकर पहुंचा, वाहनों की लंबी कतार लग गई। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस बुलानी पड़ी। पुलिस की मौजूदगी में वितरण कराया गया। शादी-विवाह के मौसम में यह समस्या और गंभीर हो गई है। बारात ले जाने वाले वाहन चालकों को विशेष परेशानी झेलनी पड़ रही है। वाहन चालकों शमशेर, गुड्डू, मेराज, सुहेल, बब्लू और करीम ने बताया कि कई दिनों से पंपों का चक्कर लगाने के बाद भी तेल नहीं मिल रहा। एसडीएम विवेकानंद मिश्रा ने बताया कि डिपो पर टैंकरों की लंबी कतार के कारण आपूर्ति प्रभावित हुई है। जल्द ही स्थिति सामान्य होगी।

मथुरा में चलती कार में लगी आग, अंदर बैठे लोगों ने कूदकर बचाई जान, टल गया बड़ा हादसा

(मथुरा)। चलती कार के इंजन में ओवर हीट की वजह से मंगलवार शाम अचानक आग लग गई। इससे कार में धुआं भर गया और कार धूं-धूंकर जलने लगी। चालक समेत कार में दो लोग सवार थे, जिन्होंने खिड़की से कूद कर जान बचाई। सुरीर के गांव नगला कुलू निवासी महेश कुमार मंगलवार को साथी राकेश राणा के साथ किसी काम से अपनी बोलेरो नियो कार में कोसीकलां जा रहे थे। शेरगढ़-कोसीकलां के मध्य गांव हुसैनी के समीप अचानक चलती कार में बोनट की ओर से धुंआ भर गया। इसे देख कार को सड़क किनारे रोकने के बाद चालक समेत सवार खिड़की खोलकर नीचे कूद गए। उनके देखते देखते कार में इंजन की ओर से आग की लपटें उठने लगीं। ग्रामीणों की मदद से किसी तरह आग को काबू में किया। बताया गया कि भीषण गर्मी में इंजन ओवरहीट होने की वजह से कार में से आग लग गई। कार के अंदर चालक समेत दो लोग मौजूद थे। गनीमत रही कि आग फैलने से पहले वह सकुशल बाहर निकल आए लेकिन आग में जलने से कार बुरी क्षतिग्रस्त हो गई।

पत्रकार के साथ मारपीट और मोबाइल छीनने की घटना को लेकर पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन- कार्रवाई की मांग

●पत्रकारों ने पूछा। स्टूडियो संचालक को पुलिस की राइफल और अधिकारी की टोपी पहनकर फोटो खिंचवाने की हिम्मत कहा से आई।

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

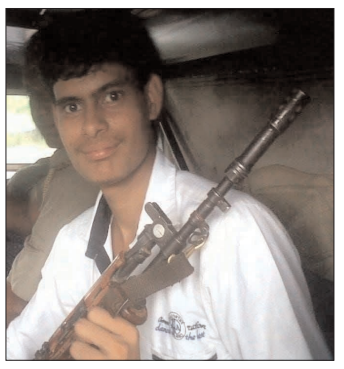

गोपीगंज। गोपीगंज बाजार में वर्मा स्टूडियो के नाम से संचालित करने वाला स्टूडियो संचालक अंकित पाठक उर्फ शुभम हमेशा सुर्खियों में बना रहता है कभी आम राहगीरों से हाथा पाई तो कभी स्थानीय लोगों को पुलिसिया रौब दिखा कर लोगो के ऊपर दवाब बनाता है और तो और अब यही स्टूडियो संचालक अंकित पाठक उर्फ शुभम पत्रकारों के ऊपर भी इसी पुलिसिया टोपी और राइफल वाला फोटो का स्टेटस दिखा कर उनके साथ मारपीट करते हुए मोबाईल छीनने का कार्य शुरू कर दिया है।

स्टूडियो संचालक अंकित पाठक उर्फ शुभम पत्रकारों के साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट कर मोबाईल छीनने वाली घटना को कारित किए स्टूडियो संचालक अंकित पाठक उर्फ शुभम को 48 घंटो से ज्यादा बीत जाने के बाद भी पुलिस ने ना तो पत्रकारों द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र पर मुकदमा दर्ज किया ना ही पत्रकारों का मेडिकल कराया बल्कि स्टूडियो संचालक अंकित पाठक उर्फ शुभम को अपनी गोद में बैठाया है आखिर अब सवाल यह भी उठता है कि पुलिस कि ऐसी क्या मजबूरी है जो एक स्टूडियो संचालक अंकित पाठक उर्फ शुभम को अपनी राइफल ,टोपी ,और गाड़ी भी सौंप दी है अब यहां सवाल यह भी उठता है कि क्या पुलिस जानबूझकर स्टूडियो संचालक अंकित पाठक उर्फ शुभम को पुलिसिया गुंडा बनाकर रखा कि वह चौथे स्तंभ के आवाज को दबा कर रखे जिससे पुलिस को सच का आईना पत्रकार ना दिखा पाए।

वही आज पत्रकारों ने पुलिस अधीक्षक भदोही अभिनव त्यागी से मिलकर स्टूडियो संचालक अंकित पाठक उर्फ शुभम द्वारा पत्रकारों से मारपीट और मोबाईल छीनने वाली घटना कि शिकायत करते मुकदमा दर्ज करने कि मांग कि और तो और स्टूडियो संचालक अंकित पाठक उर्फ शुभम कि पुलिसिया टोपी और राइफल के साथ वाली फोटो पर भी चर्चा किया जिससे वह समाज में भय का माहौल बना कर रखा है अब देखना यह होगा कि क्या गोपीगंज पुलिस स्टूडियो संचालक अंकित पाठक उर्फ शुभम के ऊपर पत्रकारों के साथ मारपीट और मोबाईल छीनने के मुकदमे के साथ साथ पुलिस कि टोपी और राइफल वाली फोटो पर भी कार्यवाही करती है या नहीं।

नवनिर्मित कान्हा गौशाला में गौवंशों की दुर्दशा का अध्याय शुरू

प्रतापगढ़। सरकार द्वारा निराश्रित गौवंशों को गौशालाओं में संरक्षित कर उनके भरण पोषण की धनराशि निर्गत करती है, उसके बावजूद भी गौशालाओं में संरक्षित गौवंशों की दुर्दशा का फुर्साहाल नहीं है।आदर्श नगर पंचायत लालगंज में कान्हा गौशाला को करीब 1 करोड़ 65 लाख से निर्मित किया गया है। यहां गौवंशों को संरक्षित करने का कार्य महज दो माह बीते होंगे और गौवंशों की दुर्दशा शुरू हो गई है। सोमवार को भीषण धूप में खुले में एक गौवंश अचेत पड़ा हुआ दिखा जिसके ऊपर कौवे चोंच मारी कर रहे थे, लेकिन उसकी हाल खबर लेने वाला कोई नहीं।अधिशाषी अधिकारी को गौवंश की दुर्दशा की हालत बताने पर वही रटा रटाया जवाब दिखवाता हूं।

पेट्रोल डीजल की तस्करी से आम नागरिक बेहाल, सीमावर्ती पंपों पर ईंधन का संकट

» डीजल-पेट्रोल को तस्करी के जरिए भेजा जा रहा सीमा पार, स्थानीय प्रशासन के पकड़ से कोसों दूर हुए कारोबारी

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

रतनपुर/महराजगंज। नौतनवां ब्लॉक के सीमावर्ती क्षेत्रों में डीजल और पेट्रोल की अवैध तस्करी ने आम नागरिकों की कमर तोड़ दी है, जिससे क्षेत्र के पेट्रोल पंपों पर ईंधन के लिए हाहाकार मचा हुआ है। नौडिहवा, सेखुआनी कोहरगड्डी और पड़ियाताल स्थित पंपों पर प्रतिदिन स्टॉक खत्म होने से आम उपभोक्ताओं को घंटों कतार में लगने के बाद भी खाली हाथ लौटना पड़ रहा है, जिसके कारण उन्हें मजबूरी में ऊंचे दामों पर ईंधन खरीदना पड़ रहा है। सूत्रों के अनुसार नेपाल में भारतीय मुद्रा के मुकाबले डीजल और पेट्रोल की कीमतें काफी अधिक होने के कारण तस्कर सक्रिय हो गए हैं। यह तस्कर दोपहिया और चार पहिया वाहनों के जरिए रात के अंधेरे में भारी मात्रा में ईंधन सीमा पार कराकर मोटा मुनाफा कमा रहे हैं। इस कालाबाजारी का सबसे अधिक प्रभाव शादी-विवाह के सीजन पर पड़ा है जहां आवाजाही के लिए लोगों को तेल नहीं मिल पा रहा है। स्थानीय निवासी शमशाद खान, महबूब अली, राधेश्याम, संदीप, राजकुमार, संजय यादव, रामदेव प्रसाद, सलाहुद्दीन, जयकिशुन यादव सहित अन्य लोगों ने इस संकट पर गहरा रोष व्यक्त किया है। वहीं क्षेत्र के जगरनाथपुर पेट्रोल पंप के बगल में ही सड़क के किनारे बोतलों में डेढ़ सौ से दो सौ रुपए प्रति लीटर पेट्रोल खुले आम बेचा जा रहा है। हैरानी की बात यह है कि इस बड़े स्तर पर हो रही तस्करी के बावजूद सुरक्षा विभाग मूकदर्शक बना हुआ है जिससे प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं।

सिद्धार्थनगर में युवक का शव मिलने से हड़कंप, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप

सिद्धार्थनगर। संदिग्ध परिस्थितियों में घर से निकले युवक का शव दूसरे दिन बुधवार सुबह एक पुलिया के नीचे मिला है। वह एक दिन पहले मंगलवार शाम अपने घर से बाजार में सब्जी खरीदने के निकला था। शव के पास खून व चप्पल के इधर-उधर बिखरे मिलने पर स्वजन ने हत्या का आरोप लगाया है। सदर थाना के जगदीशपुर राजा गांव निवासी यशवंत लोधी मंगलवार की शाम सब्जी खरीदने के लिए घर से निकला था। जब वह घर नहीं लौटा तो स्वजन ने देर तक खोजबीन की।

दूसरे दिन सुबह उसका शव सदर थाना क्षेत्र के कोयलहरा पुल के नीचे मिला। सूचना मिलने पर सदर थाना पुलिस व फील्ड यूनिट की टीम मौके पर पहुंच गई। घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य संकलन किया। एसएचओ सदर मिथलेश कुमार राय ने बताया कि सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई। जांच की जा रही है। स्वजन ने अभी तहरीर नहीं दी है, तहरीर मिलने पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा।

गरीबों को सोलर योजना का सपना दिखाकर दौड़ा रहा बैंक! 20 दिन बाद भी नहीं हुआ सर्वे

» पीएम सूर्य घर योजना में बैंक की सुस्ती से गरीब परेशान, 'कर्मचारी नहीं' कहकर लौटाए जा रहे लाभार्थी

» सरकार दे रही राहत, बैंक बना रुकावट! पीएम सूर्य योजना के लाभार्थी लगा रहे दफ्तरों के चक्कर

बस्ती। बस्ती जिले में केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी पीएम सूर्य घर योजना में बैंक की लापरवाही गरीबों पर भारी पड़ती दिखाई दे रही है। थाना सोनहा क्षेत्र के ग्राम हसनापुर निवासी रामलोट पुत्र नवल ने जिलाधिकारी को शिकायत देकर आरोप लगाया है कि योजना के तहत उनका आवेदन लगभग 15 से 20 दिन पहले पंजाब नेशनल बैंक शाखा भीरिया बाजार भेजा जा चुका है, लेकिन आज तक न तो फील्ड सर्वे किया गया और न ही आगे की कोई कार्रवाई हुई।पीड़ित का कहना है कि कई बार बैंक जाने के बावजूद केवल 'कर्मचारी की कमी' का हवाला देकर उन्हें वापस लौटा दिया जाता है। आरोप है कि बैंक अधिकारियों की ढिलाई के कारण सरकार की जनकल्याणकारी योजना का लाभ जरूरतमंदों तक समय से नहीं पहुंच पा रहा है।प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना का उद्देश्य गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को सस्ती बिजली और सोलर सुविधा उपलब्ध कराना है, लेकिन जमीनी स्तर पर बैंकिंग प्रक्रिया की सुस्ती लोगों की परेशानी बढ़ा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि योजना का प्रचार तो बड़े स्तर पर किया जा रहा है, लेकिन बैंक और संबंधित अधिकारी समय पर कार्य नहीं कर रहे, जिससे गरीब जनता दफ्तरों और बैंकों के चक्कर काटने को मजबूर है। रामलोट ने जिलाधिकारी से मामले में हस्तक्षेप कर संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई तथा शीघ्र सर्वे कराकर योजना का लाभ दिलाने की मांग की है। अब देखने वाली बात होगी कि प्रशासन इस मामले को कितनी गंभीरता से लेता है।

छात्र-छात्राओं की सुरक्षा एवं जाम से निजात दिलाने हेतु परिवहन सुरक्षा समिति की बैठक सम्पन्न

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

ब्यूरो प्रयागराज जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा के निर्देश के क्रम में बुधवार को अपर जिलाधिकारी (नगर) सत्यम मिश्र की अध्यक्षता में संगम सभागार में जनपद प्रयागराज के विभिन्न विद्यालयों के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य के साथ छात्र-छात्राओं की सुरक्षा एवं अनावश्यक जाम से निजात दिलाने हेतु जिला विद्यालय यान परिवहन सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित की गयी। बैठक में विद्यालय प्रबंधन को निर्देश दिया गया कि बच्चों को वाहन में चढ़ाने एवं उतारने के लिए स्कूल प्लेग्राउण्ड का प्रयोग करें ताकि स्कूल के बाहर अनावश्यक जाम की स्थिति न उत्पन्न होने पाये। वाहनों को निर्धारित पार्किंग एरिया में खड़ा करें।

जनपद के सभी विद्यालयों के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को ध्विद्यालय परिवहन सुरक्षा समितिष् के गठन किये जाने के निर्देश दिये गये, जिसका उद्देश्य विद्यार्थियों की सुरक्षा सम्बन्धी मामलों की देखभाल करना है। प्रबन्धक / प्रधानाचार्य को स्कूली वाहनों के संचालन व नियमन हेतु उत्तर प्रदेश मोटरयान (छब्बीसवां संशोधन) नियमावली, 2018 के उपबन्धों से अवगत कराया गया व इस बात पर विशेष जोर दिया गया कि विद्यालय परिसर के भीतर ही बच्चों को सुरक्षित चढ़ाने व उतारने के लिए उपबन्ध किये जायें, प्रत्येक दशा में स्कूल के सामने स्थित मार्ग पर बच्चों को उतारना व चढ़ाना प्रतिबन्धित किया जाये तथा विद्यालयीय वाहनों के समस्त प्रपत्रों यथा परमिट, फिटनेस, प्रदूषण प्रमाण पत्र, बीमा आदि को वैद्य होने के उपरान्त ही वाहनों का उपयोग स्कूली छात्रों के परिवहन हेतु किया जाये। साथ ही यह भी निर्देशित किया गया कि प्रबन्धक / प्रधानाचार्य नियमावली के 222 (छ) में वर्णित विद्यालय परिवहन सुरक्षा समिति का गठन कर उसकी नियमित बैठकें आयोजित करें। अभिभावकों व छात्रों को सड़क सुरक्षा के विषयों के प्रति जागरूक करें।

विद्यलाय प्रबंधन यह सुनिश्चित करे कि विद्यालयीय वाहनों में समस्त सुरक्षा उपकरणों यथा पारदर्शी फस्ट एड बॉक्स, सी0सी0 कैमरे, खिडकियों में जाली, बच्चों को चढने उतरने के लिए सीढी आदि सही रूप से लगी हो। बच्चों की सुरक्षा हेतु विद्यालयीय वाहनों के अनुभवी चालकों व सहायकों की नियुक्ति सुनिश्चित करें। यह भी निर्देशित किया गया कि स्कूलों की छुट्टी के समय में 15-15 मिनट का अन्तराल रखा जाये जिससे स्कूल के बाहर अनावश्यक जाम न लगने पाये।

दीर्घकालिक लापरवाही से बढ़ रही शहरों की प्यास

भीषण गर्मी की लहरें अभी से रिकॉर्ड तोड़ रही हैं और देश के बड़े-बड़े शहरों में बिजली की मांग चरम पर पहुंच गई है। इसी के साथ जल संकट एक बार फिर सिर उठा रहा है। दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद और मुंबई जैसे महानगरों में भूजल स्तर तेजी से गिर रहा है। कई इलाकों में टैंकरों की लंबी कतारें लग रही हैं तथा पानी की आपूर्ति अनियमित हो गई है। दक्षिण भारत के अनेक जलाशयों में अप्रैल महीने में ही कुल भंडारण क्षमता का लगभग 47 से 50 प्रतिशत से भी कम पानी बचा है। विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि यदि तत्काल प्रभावी और दीर्घकालिक कदम नहीं उठाए गए तो वर्ष 2026 का ग्रीष्म कई शहरों के लिए 'डे जीरो' जैसी भयावह स्थिति पैदा कर सकता है। भारत विश्व के सबसे जल-तनावग्रस्त देशों में शामिल है। नीति आयोग और विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार देश की प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता लगातार घट रही है। शहरीकरण की तेज रफ्तार, जनसंख्या वृद्धि तथा कृषि क्षेत्र में भूजल का अत्यधिक दोहन मुख्य कारण हैं। केंद्रीय भूजल बोर्ड के हालिया आकलन के मुताबिक राष्ट्रीय स्तर पर भूजल निकासी लगभग 60 प्रतिशत है, जबकि कई राज्यों में यह 100 प्रतिशत से भी अधिक पहुंच चुका है। इस वर्ष की प्रारंभिक गर्मी ने स्थिति को और बिगाड़ दिया है। दिल्ली जैसे शहरों में भूजल अत्यधिक दोहन वाले क्षेत्रों में बोरवेल अब 300 फीट से भी अधिक गहराई तक जाने को मजबूर हैं। बेंगलुरु में हजारों बोरवेल सूख चुके हैं तथा कई क्षेत्र उच्च जल-तनाव वाले चिह्नित किए गए हैं। चेन्नई और हैदराबाद भी निरंतर संकट से जूझ रहे हैं। **कारण और प्रभाव–** इस संकट के पीछे कई गंभीर कारण हैं। अनियोजित शहरी विकास, वर्षा जल संचयन की कमी, तालाबों और झीलों का अतिक्रमण, अपशिष्ट जल का नाकाफी उपचार तथा भूजल का अंधाधुंध दोहन प्रमुख हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण मानसून की अनिश्चितता भी समस्या को बढ़ा रही है। शहरी क्षेत्रों में प्रतिदिन उत्पन्न होने वाले अपशिष्ट जल का मात्र 28 प्रतिशत ही उपचारित हो पाता है। शेष अनुपचारित जल नदियों, झीलों और भूजल को प्रदूषित कर रहा है। **पेय पदार्थ कंपनियों का जल दोहन–** संकट को और गंभीर बनाने में कोका कोला, पेप्सी तथा अन्य शीतल पेय और बोतलबंद पानी बनाने वाली बड़ी कंपनियों की भूमिका भी उल्लेखनीय है। इन कंपनियों के बॉटलिंग प्लांट भूजल का भारी मात्रा में उपयोग करते हैं। एक सामान्य शीतल पेय की बोतल बनाने में उत्पादन प्रक्रिया सहित सैकड़ों लीटर पानी खर्च होता है। कई क्षेत्रों में इन प्लांटों को भूजल के अत्यधिक दोहन के लिए दोषी ठहराया जाता रहा है। केरल के प्लाचीमाडा, राजस्थान के काला डेरा और उत्तर प्रदेश के मेहदीगंज जैसे स्थानों पर स्थानीय किसानों और निवासियों ने आरोप लगाए हैं कि इन कंपनियों के प्लांटों के कारण भूजल स्तर तेजी से गिरा है, जिससे कृषि प्रभावित हुई और गांवों में पीने के पानी की कमी बढ़ी। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने भी उत्तर प्रदेश में इन कंपनियों के कुछ प्लांटों पर भूजल दोहन के लिए करोड़ों रुपये का जुर्माना लगाया था। ये कंपनियां लाखों लीटर भूजल प्रतिदिन निकालती हैं जबकि आसपास के गांव टैंकर पानी पर निर्भर रहते हैं। यद्यपि कंपनियां जल संरक्षण और रिचार्ज परियोजनाओं का दावा करती हैं, लेकिन कई स्वतंत्र अध्ययनों और स्थानीय शिकायतों में इन प्रयासों को अपर्याप्त बताया जाता है। जब आम नागरिक पानी की एक-एक बूंद के लिए तरस रहे हों, तब बड़े पैमाने पर शीतल पेय और बोतलबंद पानी का उत्पादन जल संसाधनों पर अतिरिक्त दबाव डाल रहा है। सामान्य नागरिकों पर इसका सबसे अधिक प्रभाव पड़ रहा है। निम्न आय वर्ग के परिवार और झुग्गी बस्तियों में रहने वाले लोग महंगे तथा अक्सर दूषित टैंकर पानी पर निर्भर हो गए हैं। जलजनित बीमारियां तेजी से फैल रही हैं। स्वास्थ्य जोखिम बढ़ रहे हैं। साथ ही अर्थव्यवस्था पर भी भारी बोझ पड़ रहा है। उद्योग, छोटे कारोबार और कृषि कार्य सभी प्रभावित हो रहे हैं। गर्मी, बिजली संकट और जल संकट अब एक-दूसरे से जुड़कर एक विकट चक्र बना रहे हैं। **नीतिगत चुनौतियां–** सरकारें हर वर्ष ग्रीष्म ऋतु से पहले कार्य योजना जारी करती हैं - टैंकरों की व्यवस्था, जल आपूर्ति बढ़ाने के प्रयास और जागरूकता अभियान। ये कदम

सराहनीय हैं किंतु ये केवल लक्षणों का उपचार हैं, मूल समस्या का समाधान नहीं। अपशिष्ट जल उपचार की क्षमता अभी भी बहुत कम है। वर्षा जल संचयन को अनिवार्य बनाने और पुराने जलाशयों के पुनरुद्धार पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा है। शहरी स्थानीय निकायों की क्षमता सीमित है। भूजल दोहन पर सख्त नियंत्रण लागू करना चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। पेय पदार्थ उद्योग पर भी सख्त नियमन की जरूरत है। उच्च जल-तनाव वाले क्षेत्रों में नए प्लांट स्थापित करने पर रोक तथा मौजूदा प्लांटों के जल उपयोग की स्वतंत्र निगरानी अनिवार्य होनी चाहिए। कृषि क्षेत्र में कम पानी वाली फसलों को बढ़ावा देने की नीति भी अभी अपर्याप्त है।

क्या किया जाना चाहिए?– यह संकट हमें याद दिलाता है कि सतत विकास जल सुरक्षा के बिना संभव नहीं है। तत्काल और दीर्घकालिक दोनों स्तरों पर कार्रवाई की आवश्यकता है:

- हर इमारत, कॉलोनी और औद्योगिक इकाई में वर्षा जल संचयन प्रणाली को अनिवार्य बनाना तथा इसके पालन के लिए पुरस्कार और दंड की स्पष्ट व्यवस्था करना।
- अपशिष्ट जल के उपचार और पुनः उपयोग को बढ़ावा देना, विशेषकर उद्योग, निर्माण और बागवानी जैसे गैर-पीने वाले कार्यों के लिए।
- भूजल दोहन पर सख्त निगरानी तथा रिचार्ज प्रणाली लागू करना। उच्च जल-तनाव वाले क्षेत्रों में पेय पदार्थ कंपनियों के भूजल उपयोग पर सख्त प्रतिबंध लगाना और उनके जल उपयोग की वार्षिक स्वतंत्र ऑडिट अनिवार्य करना।
- शहरी नियोजन में झीलों, तालाबों और हरित क्षेत्रों का संरक्षण सुनिश्चित करना।
- जल बचत को जन-जागरूकता के माध्यम से संस्कृति का हिस्सा बनाना।

केंद्र और राज्य सरकारों को मिलकर एक मजबूत राष्ट्रीय जल सुरक्षा मिशन तैयार करना चाहिए जिसमें बुनियादी ढांचे का विकास, स्थानीय स्तर के समाधान, डेटा आधारित निगरानी और जलवायु अनुकूलन सभी शामिल हों। पेय उद्योग को भी अपनी जिम्मेदारी समझते हुए जल-न्यूट्रल उत्पादन की दिशा में ठोस कदम उठाने चाहिए।

निष्कर्षः भीषण गर्मी, बिजली संकट और जल संकट अब एक साथ आ रहे हैं। ये अलग-अलग मुद्दे नहीं बल्कि जलवायु परिवर्तन और अनियोजित विकास की एक ही कहानी के विभिन्न पहलू हैं। जब बड़े उद्योग लाखों लीटर पानी का उपयोग कर रहे हों तो आम जनता की प्यास बुझाना और भी कठिन हो जाता है। यदि हम आज दूरदर्शी कदम नहीं उठाए तो कल का शहरी भारत विकास की राह पर ठिठक सकता है। हर बूंद कीमती है। पानी की बर्बादी रोकना हर नागरिक, उद्योग और सरकार की जिम्मेदारी है। समय अभी है। सतत और दूरदर्शी नीतियों के साथ-साथ सामूहिक प्रयास से ही हम इस बढ़ते संकट को नियंत्रित कर सकते हैं और एक जल-समृद्ध, सतत तथा मजबूत भारत का निर्माण कर सकते हैं।

राजीव शुक्ला

कुपोषित बचपन, कमजोर भविष्य और समाधान की दिशा

देश का भविष्य उसके बच्चे होते हैं, यह केवल भावनात्मक कथन नहीं बल्कि एक कठोर सामाजिक सत्य है। यदि यही भविष्य कुपोषण की गिरफ्त में हो, तो सशक्त राष्ट्र का सपना अधूरा ही रह जाता है। भारत में बाल कुपोषण आज एक गंभीर और बहुआयामी चुनौती के रूप में उभर रहा है। विभिन्न सरकारी और स्वतंत्र आंकड़ों के अनुसार देश के 34 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में लगभग 34-35 लाख बच्चे कुपोषण से प्रभावित हैं, जिनमें करीब 50 प्रतिशत बच्चे गंभीर कुपोषण की श्रेणी में आते हैं। यह स्थिति केवल स्वास्थ्य का प्रश्न नहीं बल्कि सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक व्यवस्था की कार्यप्रणाली पर भी बड़ा प्रश्नचिह्न है। देश में हर वर्ष बाल दिवस जैसे आयोजनों पर करोड़ों रुपये खर्च होते हैं, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय जैसी संस्थाएं सक्रिय हैं, फिर भी जमीनी स्तर पर अपेक्षित सुधार दिखाई नहीं देता। यह विरोधाभास सोचने पर मजबूर करता है कि संसाधनों की उपलब्धता के बावजूद उनका समुचित उपयोग क्यों नहीं हो पा रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय मलेरिया, टीबी और अन्य संक्रामक रोगों पर अरबों रुपये खर्च करता है, जो आवश्यक भी है, परंतु बच्चों के पोषण जैसे मूलभूत मुद्दे पर उतनी ही गंभीरता और निरंतरता का अभाव स्पष्ट दिखता है। यदि देश के बच्चे ही शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर होंगे, तो वे भविष्य में राष्ट्र निर्माण में प्रभावी भूमिका कैसे निभा पाएंगे। आंकड़े बताते हैं कि लगभग 18 लाख बच्चे गंभीर कुपोषण से पीड़ित हैं, जबकि शेष 16 लाख बच्चे मध्यम कुपोषण की स्थिति में हैं। राज्यों के स्तर पर देखें तो महाराष्ट्र में लगभग 6 लाख कुपोषित बच्चे दर्ज किए गए हैं, जिनमें 4.5 लाख से अधिक गंभीर रूप से प्रभावित हैं; बिहार में करीब 5 लाख, गुजरात में लगभग 3.5 लाख, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, कर्नाटक, आंध्रप्रदेश, तमिलनाडु, असम और तेलंगाना जैसे बड़े राज्यों में भी लाखों बच्चे कुपोषण की चपेट में हैं। यहां तक कि देश की राजधानी दिल्ली में भी करीब 2 लाख बच्चों का कुपोषित होना यह दर्शाता है कि समस्या केवल संसाधनों की कमी नहीं, बल्कि प्रबंधन और क्रियान्वयन की कमजोरी भी है। वैश्विक स्तर पर स्थिति और भी चिंताजनक हो जाती है, जब हम वैश्विक भूख सूचकांक की ओर देखते हैं, जहां 2021 में भारत 116 देशों में 101वें स्थान पर पहुंच गया, जबकि 2020 में यह 94वें स्थान पर था। इसका सीधा अर्थ है कि स्थिति में सुधार के बजाय गिरावट आई है, और भारत अपने पड़ोसी देशों जैसे बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल और भूटान से भी पीछे खड़ा है इसके पीछे भारत की 141 करोड़ की जनसंख्या भी हो सकती है। कुपोषण का प्रभाव केवल तत्काल स्वास्थ्य तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह बच्चों के शारीरिक विकास, मानसिक क्षमता और भविष्य की उत्पादकता पर भी गहरा असर डालता है। आंकड़ों के अनुसार लगभग 34 प्रतिशत कुपोषित बच्चों का कद औसत से कम रह जाता है जबकि करीब 21 प्रतिशत बच्चों का वजन अत्यंत कम हो जाता है । ऐसे बच्चे बड़े होकर भी कई बीमारियों के प्रति संवेदनशील रहते हैं और उनकी कार्यक्षमता प्रभावित होती है, जिससे देश की समग्र उत्पादकता और विकास दर पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। कोविड-19 महामारी ने इस समस्या को और गहरा कर दिया है, क्योंकि लॉकडाउन और आर्थिक संकट के कारण लाखों परिवारों की आय प्रभावित हुई, जिससे बच्चों के पोषण स्तर में गिरावट आई। आंगनबाड़ी सेवाओं, मिड-डे मील योजनाओं और अन्य पोषण कार्यक्रमों के बाधित होने से स्थिति और विकट हुई। यह समय है कि सरकारें और समाज दोनों मिलकर इस चुनौती का समाधान खोजें। केवल योजनाएं बनाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनके प्रभावी क्रियान्वयन, निगरानी और पारदर्शिता पर विशेष ध्यान देना होगा। आंगनबाड़ी केंद्रों को सशक्त बनाना, पोषण ट्रैकर जैसी तकनीकों का सही उपयोग करना, मातृ शिक्षा और जागरूकता बढ़ाना, स्वच्छता और सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करना, और सबसे महत्वपूर्ण गरीब परिवारों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करना,ये सभी कदम मिलकर ही कुपोषण के खिलाफ प्रभावी लड़ाई लड़ सकते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन भी इस दिशा में समन्वित प्रयासों पर जोर देता है, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता और पोषण को एक साथ जोड़कर देखा जाए। यह केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं बल्कि समाज के हर वर्ग की नैतिक जिम्मेदारी है कि वह इस दिशा में योगदान दे। यदि आज हम अपने बच्चों को स्वस्थ और पोषित नहीं बना पाए, तो आने वाला कल कमजोर और असंतुलित होगा। इसलिए आवश्यक है कि कुपोषण को एक राष्ट्रीय आपात समस्या के रूप में लिया जाए और मिशन मोड में ठोस कदम उठाए जाएं, ताकि देश का भविष्य सुरक्षित, सशक्त और समृद्ध बन सके।

संजीव ठाकुर

स्कूल की चौखट पर खड़ा बाजार, भीतर सिमटती शिक्षा

[शिक्षा के गलियारों में बाज़ार की आहट, पाठ्यपुस्तक बना माध्यम]

[नियमों की मौजूदगी में भी अव्यवस्था, शिक्षा प्रणाली पर प्रश्नचिह्न]

निजी विद्यालयों में एनसीईआरटी पुस्तकों के अनुपालन का सवाल अब महज़ पाठ्य सामग्री का विवाद नहीं रहा, बल्कि यह देश की शिक्षा व्यवस्था के चरित्र की परीक्षा बन चुका है। जब एक ओर कानून स्पष्ट दिशा देता हो और दूसरी ओर संस्थान स्वार्थवश उससे भटकें, तो यह केवल लापरवाही नहीं, बल्कि नैतिक विचलन का संकेत होता है। अप्रैल 2026 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा केंद्र, सीबीएसई और सभी राज्यों को जारी नोटिस ने इस विडंबना को उजागर किया है। यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि क्या शिक्षा का अधिकार कानून केवल औपचारिक घोषणा बनकर रह गया है, या उसे लागू करने की प्रतिबद्धता ही क्षीण हो गई है। यह पूरा घटनाक्रम बताता है कि शिक्षा में समानता का मूल सिद्धांत निरंतर दबाव और उपेक्षा के बीच संघर्ष कर रहा है।

शिक्षा का अधिकार कानून 2009 की धारा 29 ने स्पष्ट रूप से यह प्रावधान किया था कि प्रारंभिक शिक्षा (कक्षा 1 से 8) में पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकों का निर्धारण एनसीईआरटी या संबंधित एससीईआरटी द्वारा किया जाएगा। इसी सोच के तहत एनसीईआरटी और एससीईआरटी को पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकों के निर्धारण का अधिकार सौंपा गया। इन संस्थाओं द्वारा तैयार पुस्तकें न केवल शैक्षणिक रूप से संतुलित और विश्वसनीय होती हैं, बल्कि आम परिवारों के लिए किफायती भी रहती हैं। इसके विपरीत, निजी प्रकाशकों की महंगी किताबें इस मूल उद्देश्य को कमजोर करती हैं। जब एक ही कक्षा की पुस्तकों पर हजारों रुपये खर्च होने लगें, तो यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या शिक्षा अब अधिकार से ज्यादा एक लाभकारी व्यापार में बदलती जा रही है।

निजी विद्यालयों में महंगी पुस्तकों को अनिवार्य बनाना कोई आकस्मिक भूल नहीं, बल्कि एक सुव्यवस्थित आर्थिक तंत्र की ओर संकेत करता है। कई स्थानों पर स्कूल और प्रकाशक मिलकर ऐसा गठजोड़ रचते हैं, जिसमें शिक्षा का उद्देश्य पीछे छूट जाता है और मुनाफा केंद्र में आ जाता है। अभिभावकों को 'उच्च गुणवत्ता' और 'अधिक उपयोगी सामग्री' का हवाला देकर इन पुस्तकों को खरीदने के लिए बाध्य किया जाता है, जबकि इन दावों की ठोस पुष्टि प्रायः नहीं होती। इस पूरी प्रक्रिया में अभिभावकों की विवशता का व्यवस्थित दोहन होता है और वे विरोध करने में असहाय महसूस करते हैं। ऐसी प्रवृत्ति शिक्षा के नैतिक आधार को कमजोर करती है और संस्थागत विश्वसनीयता पर गंभीर प्रश्नचिह्न खड़े करती है।

सबसे चिंताजनक परिणाम एक तेजी से गहराते शिक्षा-विभाजन के रूप में सामने आता है। जहां सरकारी विद्यालयों के बच्चे सस्ती, मानकीकृत और समान पुस्तकों से पढ़ते हैं, वहीं निजी स्कूलों के छात्र महंगी और अलग सामग्री पर निर्भर होते हैं, जिससे उनके ज्ञान का आधार ही भिन्न बन जाता है। यही अंतर आगे चलकर अवसरों की खाई को और चौड़ा कर देता है। मध्यम और निम्न वर्गीय परिवार पहले से ही शिक्षा पर बढ़ते खर्चों का दबाव झेल रहे हैं, ऐसे में किताबों का अतिरिक्त आर्थिक बोझ उनके लिए बेहद असहनीय हो जाता है। यह स्थिति केवल आर्थिक असमानता को नहीं बढ़ाती, बल्कि समाज में गहराते असंतुलन और विभाजन को भी और मजबूत करती है।

इस पूरे परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की पहल एक महत्वपूर्ण और समयोचित हस्तक्षेप के रूप में सामने आती है, जिसने शिक्षा के अधिकार को मानवाधिकार के व्यापक दृष्टिकोण से देखने की आवश्यकता को और स्पष्ट किया है। अनावश्यक तथा भारी-भरकम पुस्तकों का बढ़ता बोझ बच्चों के शारीरिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, जो राष्ट्रीय स्कूल बैग पॉलिसी 2020 की मूल भावना के विपरीत है। यदि राज्य सरकारें और संबंधित संस्थाएं अब भी इस मुद्दे पर उदासीन बनी रहती हैं, तो यह केवल प्रशासनिक अक्षमता नहीं, बल्कि संवैधानिक दायित्वों की स्पष्ट उपेक्षा मानी जाएगी। इसलिए इस विषय को अब सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए ठोस और प्रभावी कदम उठाना अनिवार्य हो गया है।

अकादमिक स्वायत्तता का तर्क अक्सर इस व्यवस्था को सही ठहराने के लिए दिया जाता है, पर इसकी वैधता तभी तक है जब तक वह कानून की सीमाओं में रहे। जब विधि स्पष्ट रूप से तय करती है कि पाठ्यपुस्तकों का चयन किन संस्थाओं के अधिकार में होगा, तब उस सीमा का उल्लंघन स्वतंत्रता नहीं, बल्कि अनुशासनहीनता का संकेत है। एनसीईआरटी की पुस्तकें विशेषज्ञों द्वारा राष्ट्रीय पाठ्यक्रम के अनुरूप तैयार होती हैं, जिससे उनकी विश्वसनीयता सिद्ध होती है। इसके विपरीत, निजी प्रकाशनों में आकर्षण अधिक, पर सामग्री की प्रमाणिकता पर सवाल बने रहते हैं। ऐसे में अकादमिक स्वतंत्रता के नाम पर व्यावसायिक हितों को बढ़ावा देना शिक्षा की मूल भावना के विरुद्ध है।

अब समय महज़ चर्चा का नहीं, ठोस और निर्णायक हस्तक्षेप का है। केंद्र और राज्य सरकारों को मिलकर एक पारदर्शी, कड़ा और जवाबदेह निगरानी तंत्र विकसित करना होगा, जो कागज़ों तक सीमित न रहे, बल्कि जमीन पर प्रभावी दिखे। निजी विद्यालयों की पुस्तक सूचियों का नियमित, निष्पक्ष और व्यापक ऑडिट सुनिश्चित किया जाए, तथा नियमों का उल्लंघन करने वाले संस्थानों पर सख्त और उदाहरणात्मक कार्रवाई हो। जुर्माने से लेकर मान्यता रद्द करने तक के प्रावधानों को पूरी दृढ़ता के साथ लागू करना अनिवार्य है। साथ ही अभिभावकों को जागरूक और सशक्त बनाना होगा, ताकि वे अपने अधिकारों के प्रति सजग रहें और किसी भी अनावश्यक आर्थिक बोझ के विरुद्ध निर्भीक होकर आवाज उठा सकें।

आखिरकार यह प्रश्न केवल किताबों तक सीमित नहीं, बल्कि राष्ट्र के भविष्य और उसकी सामाजिक दिशा से गहराई से जुड़ा है। शिक्षा वही मजबूत आधार है जिस पर एक संतुलित और न्यायपूर्ण समाज की इमारत खड़ी होती है, और यदि इसी आधार में असमानता की दरार पड़ जाए, तो समावेशी विकास का सपना अधूरा रह जाता है। समान पाठ्य सामग्री सिर्फ शैक्षणिक जरूरत नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय और अवसर की समानता का एक अहम स्तंभ है। अब सरकार और समाज–दोनों के सामने यह स्पष्ट विकल्प है कि शिक्षा को बराबरी का सेतु बनाया जाए या उसे विभाजन की खाई में बदलने दिया जाए।

प्रो. आरके जैन 'अरिजीत'

कविता

जैसे तू है कहीं आसपास मेरे।

एहसास की नाजुकी पास मेरे,
ऐसे कुछ लम्हे ही खास मेरेद्य

नजरों की खुशबू,नम एहसास,
जैसे तू है कहीं आसपास मेरे।

पुरनम सांसें जब आई मुझ तक,
साथ नम ओंठों की नमी पास मेरे।

जान कर भी जान न पाया तुझको,
न आई अधरों की खामोशी रास मेरे।

जुल्फों में छुपकर सूरज शर्मा गया,
आंखों की शराफत तेरी पास मेरे।

तेरी ऐसी बेरुखी भी मुझसे है गजब
झुठलानें आओ तो सही पास मेरे।

संजीव ठाकुर

आज़ाद भारत का सर्वाधिक मतदान : भारतीय लोकतंत्र की बड़ी जीत

देश के चौथे सबसे बड़े राज्य पश्चिम बंगाल में दूसरे और अंतिम चरण का मतदान सम्पन्न होने के साथ ही पश्चिम बंगाल सहित पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों के परिणामों पर अब सबकी निगाहें चार मई को होने वाली मतगणना पर टिक गई हैं। बिहार से शुरू हुए मतदाता सूची के शुद्धिकरण (पुनरीक्षण) के बाद वहां हुई बंपर वोटिंग ने मतदान प्रतिशत में उल्लेखनीय वृद्धि का संकेत दिया था। इसी क्रम में चुनाव आयोग ने विपक्ष के विरोध के बावजूद सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर देश के कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची का पुनरीक्षण कराया। पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में चुनाव से पहले मतदाता सूची का पुनरीक्षण किया गया। इस प्रक्रिया में हजारों-लाखों मतदाता आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत न कर पाने के कारण सूची से बाहर हुए। इसके बावजूद इन पांचों राज्यों में रिकॉर्ड मतदान हुआ, जो लोकतांत्रिक चेतना और नागरिक सहभागिता का मजबूत संकेत है। यह स्थिति राजनीतिक दलों की धड़कनें बढ़ाने वाली है। पश्चिम बंगाल में इस बार लगभग 92 प्रतिशत मतदान दर्ज होना अपने आप में ऐतिहासिक है। यह न केवल राज्य बल्कि पूरे देश के लोकतंत्र के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि इस जनादेश का सेहरा किसके सिर बंधता है। स्वतंत्रता के बाद से पश्चिम बंगाल में कभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनी। यहां कांग्रेस, वामपंथी दलों और पिछले डेढ़ दशक से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस का वर्चस्व रहा है। इस बार का चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके परिणाम राज्य ही नहीं, राष्ट्रीय राजनीति की दिशा भी तय कर सकते हैं।

यदि भाजपा इस चुनाव में सफलता प्राप्त करती है, तो यह उसके लिए ऐतिहासिक उपलब्धि होगी और विपक्षी दलों के लिए बड़ा झटका। वहीं, यदि ममता बनर्जी लगातार चौथी बार सत्ता में लौटती हैं, तो वे राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष की सबसे मजबूत नेता के रूप में उभर सकती हैं। यह भी विचारणीय है कि बढ़ता मतदान प्रतिशत कहीं न कहीं मतदाताओं के बढ़ते विश्वास और लोकतंत्र में उनकी आस्था को दर्शाता है। चाहे इसके पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वैश्विक छवि और नेतृत्व का प्रभाव हो या स्थानीय मुद्दों की भूमिका एक बात स्पष्ट है कि देश का मतदाता अब पहले से अधिक जागरूक और सक्रिय हो चुका है।

अरविंद रावल

राजा रघुवंशी हत्याकांड प्रकरण और न्याय की चुनौतियां

राजा रघुवंशी का प्रकरण आधुनिक समय की उन सबसे हृदयविदारक घटनाओं में से एक है जिसने भारतीय समाज की अंतरात्मा को झकझोर कर रख दिया है। यह मात्र एक आपराधिक घटना नहीं है बल्कि यह मानवीय संवेदनाओं, अटूट विश्वास और विश्वासघात की पराकाष्ठा का एक ऐसा दस्तावेज है जो हमारी न्याय प्रणाली की सूक्ष्मताओं को भी कटघरे में खड़ा करता है। वर्ष 2025 में आरंभ हुई यह दुखद कथा 2026 में भी जनमानस के बीच गहन विमर्श का केंद्र बनी हुई है, विशेषकर उस समय जब इस संपूर्ण प्रकरण की मुख्य अभियुक्त को न्यायालय से सशर्त मुक्ति प्राप्त हुई है। इस घटना ने यह सिद्ध कर दिया है कि कभी-कभी वास्तविकता किसी भी काल्पनिक कथा से अधिक भयावह और विचलित करने वाली हो सकती है।

इस संपूर्ण घटनाक्रम की जड़ें इंदौर के एक सामान्य परिवार से जुड़ी हैं। इंदौर के निवासी राजा रघुवंशी का विवाह 11 मई 2025 को सोनम के साथ अत्यंत हर्षोल्लास के वातावरण में संपन्न हुआ था। परिवार के सदस्यों और मित्रों के अनुसार यह एक अत्यंत सुखी और सामान्य विवाह प्रतीत होता था, जिसमें किसी भी प्रकार के तनाव या विवाद की कोई सुगबुगाहट नहीं थी। विवाह के पश्चात के रीति-रिवाजों को पूर्ण करने के बाद, अपनी नई जीवन यात्रा को स्मरणीय बनाने के उद्देश्य से यह दंपति 20 मई 2025 के आसपास मेघालय की प्राकृतिक छटाओं का आनंद लेने के लिए प्रस्थान कर गया। उस समय किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि खुशियों की यह खोज एक भयानक त्रासदी में परिवर्तित होने वाली है।

मेघालय की वादियों में भ्रमण के दौरान 23 मई 2025 वह अंतिम तिथि थी जब राजा और सोनम को अंतिम बार एक साथ देखा गया था। इसके पश्चात अचानक उनका अपने परिवार से संपर्क विच्छेद हो गया। कई घंटों तक कोई सूचना न मिलने और संचार के सभी साधन बंद होने के कारण परिवार की चिंता बढ़ती गई। अंततः स्थानीय प्रशासन और पुलिस को इस संदर्भ में सूचित किया गया। इसके पश्चात एक व्यापक खोज अभियान का सूत्रपात हुआ जिसमें स्थानीय पुलिस बल के साथ-साथ आपदा प्रबंधन दल और अन्य जांच एजेंसियों ने भी सक्रिय भूमिका निभाई। कई दिनों की निरंतर खोज और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों का सामना करने के पश्चात 2 जून 2025 को राजा का निष्प्राण शरीर एक अत्यंत गहरी खाई से बरामद किया गया। इस समाचार ने न केवल रघुवंशी परिवार को अपूर्णीय क्षति पहुँचाई बल्कि संपूर्ण देश में सनसनी फैला दी।

प्रारंभिक स्तर पर यह मामला एक रहस्यमय दुर्घटना प्रतीत हो रहा था क्योंकि राजा की पत्नी सोनम उस स्थान से लापता थी। पुलिस ने अपनी जांच की दिशा बदली और विभिन्न राज्यों में तलाशी अभियान चलाया। अंततः 8 जून 2025 को पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली जब सोनम को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले से बंदी बना लिया गया। जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ी, वैसे-वैसे इस घटना के पीछे छिपे काले सत्यों की परतें खुलने लगीं। जांच अधिकारियों ने उद्घेदन किया कि राजा की मृत्यु कोई संयोग या दुर्घटना नहीं थी, अपितु यह एक अत्यंत सुव्यवस्थित और क्रूर षड्यंत्र का परिणाम थी। पुलिस के दावों के अनुसार, सोनम ने अपने कथित प्रेमी राज कुशवाहा और 3 अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर इस जघन्य अपराध की रूपरेखा तैयार की थी।

जांच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि हत्या की इस वारदात को मेघालय के सोहरा क्षेत्र के अत्यंत दुर्गम और एकांत स्थान पर अंजाम दिया गया था। वहां अपराधी पूर्व से ही घात लगाकर बैठे थे। आरोप है कि सोनम सुनियोजित तरीके से राजा को उस एकांत स्थान पर ले गई, जहां पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार हमलावरों ने उस

पर प्रहार किया और साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से उसके शरीर को खाई में फेंक दिया। यह विवरण किसी भी संवेदनशील व्यक्ति को विचलित करने के लिए पर्याप्त था क्योंकि यह उस पवित्र बंधन के विरुद्ध था जिसमें दो व्यक्ति एक-दूसरे की सुरक्षा का वचन लेते हैं।

आरक्षी विभाग ने इस मामले में तत्परता दिखाते हुए साक्ष्यों का संकलन किया और सितंबर 2025 में न्यायालय के समक्ष लगभग 790 पृष्ठों का एक विशाल आरोप पत्र प्रस्तुत किया। इस दस्तावेज में सोनम, राज कुशवाहा और अन्य अभियुक्तों के विरुद्ध वैज्ञानिक साक्ष्य, परिस्थितिजन्य प्रमाण और प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों को विस्तृत रूप से सम्मिलित किया गया था। इस आरोप पत्र की गंभीरता को देखते हुए यह स्पष्ट था कि यह मामला कानूनी रूप से अत्यंत सुदृढ़ है। इस अवधि के दौरान अभियुक्तों की ओर से कई बार जमानत के लिए आवेदन किया गया, परंतु अपराध की प्रकृति और साक्ष्यों की प्रबलता को देखते हुए आरंभिक 3 प्रयासों में सोनम को कोई राहत नहीं मिली। वह लगभग 10 महीनों तक न्यायिक अभिरक्षा में जेल की सलाखों के पीछे रही।

वर्ष 2026 के अप्रैल माह में इस प्रकरण ने एक अप्रत्याशित मोड़ लिया। शिलांग की एक अदालत ने सोनम की जमानत याचिका पर विचार करते हुए उसे मुक्त करने का आदेश दिया। न्यायालय ने अपने निर्णय में जांच प्रक्रिया में व्याप्त कुछ गंभीर विसंगतियों और तकनीकी त्रुटियों को आधार बनाया। न्यायालय का यह प्रेक्षण था कि गिरफ्तारी के समय अभियुक्त को उसके अधिकारों और आरोपों की जानकारी उस प्रकार नहीं दी गई जैसा कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया में अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त, दस्तावेजों के रख-रखाव में भी कुछ प्रक्रियात्मक कमियां पाई गईं। न्यायालय ने इस बात पर भी बल दिया कि बिना किसी अंतिम निर्णय के किसी व्यक्ति को अनिश्चितकाल तक कारावास में रखना मानवाधिकारों के दृष्टिकोण से उचित नहीं है, विशेषकर तब जब मुकदमे की कार्यवाही की गति धीमी हो।

यद्यपि न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि जमानत प्रदान करने का अर्थ अभियुक्त को निर्दोष घोषित करना नहीं है, फिर भी इस निर्णय ने एक नई बहस को जन्म दे दिया। राजा रघुवंशी के वृद्ध माता-पिता और परिजनों के लिए यह आदेश किसी वज्रपात से कम नहीं था। उनका तर्क है कि जिस महिला पर उनके पुत्र की हत्या का इतना गंभीर आरोप है और जिसके विरुद्ध पुलिस ने 790 पृष्ठों के साक्ष्य जुटाए हैं, उसे केवल तकनीकी त्रुटियों के आधार पर राहत मिलना न्याय की अवधारणा के विपरीत है। परिवार ने अब इस निर्णय को उच्च न्यायालय में चुनौती देने का संकल्प लिया है और वे न्याय के लिए निरंतर संघर्षरत हैं।

यह प्रकरण समाज के सम्मुख कई गंभीर प्रश्न प्रस्तुत करता है। यह व्यक्तिगत संबंधों में बढ़ती असुरक्षा और स्वार्थपरता को उजागर करता है। यह घटना दर्शाती है कि किस प्रकार आधुनिक जीवनशैली और अनैतिक आकांक्षाएं व्यक्ति को इतने बड़े अपराध की ओर धकेल सकती हैं। साथ ही, यह मामला हमारी जांच एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर भी उंगली उठाता है। यदि पुलिस ने जांच और गिरफ्तारी के समय स्थापित नियमों का पूर्णतः पालन किया होता, तो शायद आज अभियुक्त को तकनीकी आधार पर जमानत न मिलती। यह प्रकरण यह भी सिखाता है कि न्याय केवल भावना से नहीं बल्कि ठोस तथ्यों और सही कानूनी प्रक्रिया से प्राप्त होता है।

इस मामले में संचार माध्यमों की भूमिका भी अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। वर्ष 2025 से ही इस घटना को निरंतर प्रसारित किया गया जिससे यह एक राष्ट्रीय चर्चा का विषय बन गया। किंतु कई बार अत्यधिक प्रचार के कारण वास्तविक विधिक तथ्य गौण हो जाते हैं और भावनात्मक पक्ष अधिक प्रभावी हो जाता है। सामाजिक स्तर पर यह घटना एक चेतावनी की भांति है जो यह बताती है कि विवाह जैसे निर्णय अत्यंत सोच-विचार कर लिए जाने चाहिए और समाज में बढ़ते अपराधों के प्रति सतर्कता अनिवार्य है।

वर्तमान में 2026 का समय इस प्रकरण के लिए अत्यंत निर्णायक है। यद्यपि मुख्य अभियुक्त कारागार से बाहर है, किंतु कानूनी संघर्ष अभी समाप्त नहीं हुआ है। न्यायालय में गवाहों की गवाही और साक्ष्यों का परीक्षण निरंतर जारी रहेगा। समाज की दृष्टि अब उच्च न्यायालय और ट्रायल कोर्ट के अंतिम निर्णय पर टिकी है। राजा रघुवंशी के परिवार को अभी भी विश्वास है कि अंततः सत्य की विजय होगी और उनके पुत्र के हत्यारों को उनके कृत्य का दंड अवश्य मिलेगा। यह कहानी एक दुखद सत्य के साथ समाप्त नहीं होती, बल्कि यह न्याय की उस लंबी और कठिन डगर का प्रतीक बन गई है जिस पर आज भी भारत का एक साधारण परिवार न्याय की आस में चल रहा है।

- महेन्द्र तिवारी

स्वामी– स्वतंत्र प्रभात मीडिया, मुद्रक एवं प्रकाशक प्रीती शुक्ला द्वारा सुशीला स्टेडी बेल एकेडमी 117-मोहल्ला बिजय लक्ष्मी नगर परगना सौराचाद तहसील व जनपद सीतापुर से प्रकाशित तथा महावीर आफसेट 28, होनेट रोड लखनऊ से मुद्रित। सम्पादक रवि कुमार अवस्थी समाचार पत्र में तमे समस्त समाचार संवाददाताओं के अपने श्रोत एवं संकलन हैं, जिनसे सम्पादक का सहमत होना आवश्यक नहीं है। **नोटः** उपरोक्त सभी पद अवैतनिक एवं स्वयंसेवी हैं तथा समाचार पत्र से सम्बंधित सारे विवादों का न्याय क्षेत्र सीतापुर होगा। R.NI NO. UPHIN/2012/43078 मो0 नं0-9511151254, E-Mail: news@swatantraprabhat.com

संक्षिप्त खबरें

तड़के घर में भड़की भीषण आग, सब कुछ जलकर हुआ खाक

महमूदाबाद- सीतापुर नगर के बिसवां रोड स्थित रोजाना मार्केट के सामने शुक्रवार की अलसुबह एक बड़ा हादसा हो गया। यहाँ रहने वाले दीपक मौर्य के मकान में शॉर्ट सर्किट की वजह से अचानक आग लग गई। देखते ही देखते लपटों ने पूरे घर को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे लाखों का घरेलू सामान जलकर राख के ढेर में तब्दील हो गया। नींद में था परिवार, अचानक मचा हड़कंप हादसा सुबह करीब 4 बजे का है। जब परिवार के लोग गहरी नींद में थे, तभी बिजली के शॉर्ट सर्किट से उठी चिंगारियों ने विकराल रूप धारण कर लिया। धुआं और तपिश महसूस होने पर जब तक परिजनों की आंख खुली, तब तक आग घर के कोने-कोने में फैल चुकी थी। स्थानीय निवासियों के सहयोग से घंटों की मशक्कत के बाद आग पर नियंत्रण पाया जा सका। इस अग्निकांड में पीड़ित परिवार का भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। नष्ट हुए सामानों की सूची में मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक उपकरण फ्रिज, एलईडी टीवी, कूलर, इन्वर्टर-बैटरी और तीन पंखे। 15,000 नगद, कीमती कपड़े, बिस्तर और रसोई का सारा सामान। गनीमत यह रही कि इस भीषण आग की चपेट में आने से कोई जनहानि नहीं हुई, समय रहते सभी सदस्य सुरक्षित बाहर निकल आए। घटना की जानकारी मिलते ही क्षेत्रीय लेखपाल पूर्णेन्द्र प्रकाश ने मौके पर पहुंचकर क्षति का जायजा लिया और नुकसान की रिपोर्ट तैयार की। वहीं, पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह वर्मा ने भी पीड़ित के घर पहुंचकर परिजनों को सांत्वना दी और हर संभव मदद का भरोसा दिलाया।

तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्राली ने ली 14 वर्षीय बच्ची की जान, मौके पर मौत

मिश्रिख (सीतापुर)- एक दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आई है, जिसने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया है। पढ़ाई के लिए घर से निकली दो बहनों में से एक की ट्रैक्टर-ट्रॉली की चपेट में आने से मौके पर ही मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार, मृतक छात्रा का नाम शुभी (14 वर्ष) पुत्री जगदीश, निवासी बेनीपुर है। यह हादसा सरसई मार्ग, जोतपुर के पास उस समय हुआ जब सुबह करीब 8:00 बजे शुभी अपनी बहन के साथ पढ़ने के लिए जा रही थी। इसी दौरान शादी का सामान लेकर जा रही तेज रफ्तार ट्रैक्टर-ट्रॉली ने उसे रौंद दिया। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। स्थानीय लोगों की मदद से घायल छात्रा को तुरंत मिश्रिख सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है, वहीं पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई है। पुलिस द्वारा मामले में आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। यह हादसा एक बार फिर तेज रफ्तार और लापरवाही से वाहन चलाने के खतरों को उजागर करता है।

सार्वजनिक सूचना

नोटिस अंतर्गत धारा 82 BNSS 84 BNSS माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय बलरामपुर के आदेश के क्रम में मुकदमा अपराध संख्या 25/2025 धारा 303/2 317/ 2 316 /5 61/2 BNS धारा 26 ,41,42,52FAct व 27, 29,31,51WL Act से संबंधित वांछित अभियुक्त गण इस्लाम पुत्र कल्लू अवधेश पुत्र सागर ढोढे और रमेश उर्फ राजेश पुत्र राम बचन उर्फ कुकुट निवासीगण होमपुर थाना हरैया बलरामपुर राजू पुत्र नंगे मौर्य निवासी गंगापुर थाना हरैया जनपद बलरामपुर के घरो पर दिनांक 14/02/2026 को धारा 82 सीआरपीसी की नोटिस चस्पा किया गया।

मुकदमा अपराध संख्या 218 /24 धारा 303/21 316/5 61/2 BNS 26 Fact व 27,29,31 WLact संबंधित वांछित अभियुक्तगण शिवेंद्र कुमार श्रीवास्तव उर्फ गुड्डू लाल पुत्र विजेंद्र श्रीवास्तव निवासी सेखुईनियाकला थाना तुलसीपुर बलरामपुर मु0 अ0 स0 25/2025 व 218/2024 में वांछित अभियुक्त गोलू कुमार कश्यप पुत्र विजय कश्यप निवासी पुरानी बाजार कहारन टोला कस्बा तुलसीपुर थाना तुलसीपुर बलरामपुर के विरुद्ध माननीय न्यायालय द्वारा धारा 82 CRPC 84 BNSS का आदेश के क्रम में अभियुक्तगण के घरों पर दिनांक 29/03/2026 नोटिस की एक-एक प्रति चस्पा किया गया तथा मुनादी कराई गई है।

अभियुक्तगण द्वारा जंगल की खैर की लकड़ी का अवैध तरीके से कटान किया है अभियुक्त गणों के विरुद्ध माननीय न्यायालय द्वारा उद्घोषणा आदेश जारी किया गया है।

सोशल मीडिया से उठी आवाज

● हैण्ड पम्प मरम्मत व रिबोर पर करोड़ों रुपए खर्च धरातल पर शून्य

ब्लॉक की कई ग्राम पंचायतों में पेयजल संकट गहराया प्रशासन की अग्नि परीक्षा

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

लखनऊ/गोण्डा। जनपद गोण्डा के विकास खंड रूपईडीह में पेयजल व्यवस्था को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। जहां पर ग्रामीणों ने सोशल मीडिया पर सवाल खड़े कर दिए हैं। विकास खंड रूपईडीह के 106 ग्राम पंचायतों में हर वर्ष हैंडपंप मरम्मत, पाइप बदलने और रिबोर कार्यों पर लगभग एक करोड़ रुपये खर्च किए जाने के दावों के बीच कई गांवों में आज भी लोग पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। खराब पड़े हैंडपंप, दूषित पानी और वर्षों से लंबित रिबोर कार्य अब ग्रामीणों के लिए बड़ी परेशानी बन चुके हैं। मामला तब चर्चा में आया जब कमडावा व भवानीपुर उपाध्याय, ग्राम पंचायत के ग्रामीणों ने सोशल मीडिया के माध्यम से गांव में वर्षों से खराब पड़े हैंडपंपों की शिकायत सार्वजनिक की। इसके बाद अन्य ग्राम पंचायतों से भी इसी तरह की शिकायतें सामने आने लगीं, जिससे पूरे ब्लॉक की पेयजल व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं।

कमडावा में वर्षों से बंद पड़े हैंडपंप

ग्रामीणों के अनुसार कमडावा ग्राम पंचायत में कई हैंडपंप आठ-आठ वर्षों से खराब पड़े हैं। शिकायत में हनुमान मंदिर, आजाद बाबा के घर के सामने, शिवपति शुक्ला, फूलचंद्र तिवारी, चंद्रशेखर तिवारी, सिद्धनाथ दुबे पुरवा, हनुमान यादव तथा रामलायक तिवारी के घरों के पास लगे हैंडपंप बंद बताए गए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि यदि समय-समय पर मरम्मत और रिबोर कार्य कराए गए होते, तो इतनी बड़ी संख्या में नल वर्षों तक बंद नहीं रहते। इससे मरम्मत मद में खर्च की गई धनराशि और कार्यों की वास्तविकता पर संदेह गहरा रहा है।

कई ग्राम पंचायतों में एक जैसी स्थिति

ग्रामीणों का आरोप है कि समस्या केवल कमडावा, भुलईडीह, भवानीयापुर उपाध्याय तक सीमित नहीं है। ग्राम पंचायत भटपुरवा बेलवाकर्रमडीह, भरियालाबेदपुर, टडवागुलाम, पडरी परासराय, अनेगी, पिपरा भोधर, तेदुवाचौखडिया, बीरपुर झलेहिया, फत्तेगढ़ ग्राम पंचायत सहित कई गांवों में हैंडपंप खराब पड़े हैं या रीबोर की जरूरत है।कई स्थानों पर पानी कम निकलने, गंदा पानी आने और पाइपलाइन खराब होने की भी शिकायतें हैं। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद स्थायी समाधान नहीं किया गया

परिषदीय विद्यालय में दूषित पानी पीने को मजबूर बच्चे

मामले का सबसे चिंताजनक पहलू यह है कि कई ग्राम पंचायतों के परिषदीय विद्यालयों और पंचायत परिसरों में लगे हैंडपंप दूषित पानी दे रहे हैं। मजबूरी में बच्चे वही पानी पीने को विवश हैं। ग्रामीणों का कहना है कि यदि समय रहते पानी की गुणवत्ता की जांच नहीं हुई, तो बच्चों में जलजनित बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। विद्यालयों में शुद्ध पेयजल व्यवस्था न होना शिक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़ा करता है, क्योंकि बच्चों के स्वास्थ्य पर सीधा असर पड़ सकता है।

गर्मी बढ़ने से बढ़ी मुश्किलें

भीषण गर्मी के बीच जलस्तर गिरने से हालात और गंभीर हो गए हैं। जिन गांवों में हैंडपंप खराब हैं, वहां लोगों को दूर-दराज के मोहल्लों या निजी साधनों से पानी लाना पड़ रहा है। महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों को सबसे अधिक परेशानी उठानी पड़ रही है। कई गांवों में सुबह और शाम पानी भरने के लिए लंबी कतारें लगने की भी जानकारी सामने आई है।

करोड़ों खर्च, फिर भी राहत क्यों नहीं?

ग्रामीणों का कहना है कि जब 106 ग्राम पंचायतों में हर वर्ष लगभग एक करोड़ रुपये हैंडपंप मरम्मत और रिबोर पर खर्च किए जाते हैं, तो जमीनी स्तर पर हालात इतने खराब क्यों हैं। इससे भुगतान प्रक्रिया, कार्य की गुणवत्ता, तकनीकी परीक्षण और निगरानी तंत्र पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। लोगों का कहना है कि यदि कार्य सही तरीके से हुए होते, तो हर साल एक ही समस्या दोबारा सामने नहीं आती। जांच की मांग तेज ग्रामीणों ने सोशल मीडिया और स्थानीय स्तर पर मांग की है कि: ग्राम पंचायतों में खराब हैंडपंपों का भौतिक सत्यापन कराते हुए, मरम्मत व रिबोर कार्यों का स्वतंत्र ऑडिट कराया जाए जिससे कागजों में किए गए भुगतान की जांच हो सके तथा परिषदीय विद्यालयों में लगे हैण्ड पम्प से दूषित पानी देने वाले हैंडपंपों की तुरंत जांच कर जिम्मेदार अधिकारियों और संबंधित एजेंसियों की जवाबदेही तय की जाए।

अब प्रशासन कीअग्निपरीक्षा

मामला लगातार तूल पकड़ रहा है और अब लोगों की निगाहें प्रशासन पर टिक गई हैं। सवाल यह है कि करोड़ों रुपये खर्च होने के बावजूद पेयजल संकट कब दूर होगा, खराब पड़े हैंडपंप कब चालू होंगे और ग्रामीणों को शुद्ध पानी कब मिलेगा।

बिना डॉक्टर और कागजों के चल रहे अल्ट्रासाउंड सेंटर

● प्रशासन का डंडा, CMO ने जड़ा ताला

जिले में बिना मान्यता प्राप्त डॉक्टरों और अवैध रूप से चल रहे डायग्नोस्टिक सेंटरों को बख्शा नहीं जाएगा

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

महमूदाबाद-सीतापुर। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बुधवार को अवैध रूप से संचालित पैथोलॉजी केंद्रों के विरुद्ध एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. सुरेश कुमार के नेतृत्व में नगर के बिसवां मार्ग स्थित 'सरल डायग्नोस्टिक एंड एवन अल्ट्रासाउंड सेंटर' पर औचक छापेमारी की गई, जहाँ नियमों की जमकर धज्जियां उड़ती मिलीं। जाँच के बाद सेंटर को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया गया है। इस केंद्र पर तकनीशियन कर रहे थे अल्ट्रासाउंड, और फॉर्म 'एफ' भी नदारद मिले। छापेमारी के दौरान जो तथ्य सामने आए, वे चौंकाने वाले थे। सीएमओ ने बताया कि निरीक्षण के समय केंद्र पर 10 मरीजों के अल्ट्रासाउंड किए जा चुके थे, लेकिन किसी भी मरीज का अनिवार्य 'फॉर्म एफ' नहीं भरा गया था। नियमानुसार, अल्ट्रासाउंड से पहले यह फॉर्म भरना अनिवार्य होता है। इससे भी गंभीर बात यह रही कि मौके पर कोई भी अधिकृत रेडियोलॉजिस्ट या डॉक्टर मौजूद नहीं था। डॉक्टर की अनुपस्थिति में एक साधारण तकनीशियन द्वारा अल्ट्रासाउंड किए जा रहे थे, जो मरीजों की सेहत के साथ बड़ा खिलवाड़ है। अवैध रूप से संचालन और साक्ष्यों का अभाव जाँच के समय सेंटर संचालक प्रशासन को क्लीनिक के पंजीकरण या संचालन से संबंधित कोई भी वैध दस्तावेज नहीं दिखा सका। बिना किसी कागजी औपचारिकता और विशेषज्ञ चिकित्सक के क्लीनिक चलता देख, सीएमओ ने नाराजगी जाहिर करते हुए उसे तुरंत बंद करने के आदेश दिए।

शिव जी की कृपा से आत्मबल होता है सुदृढ़, सेवा ही सच्ची भक्ति - मुकेश रस्तोगी

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

रायबरेली- जनपद में धार्मिक आस्था और समाजसेवा का अद्भुत संगम उस समय देखने को मिला, जब श्री मलिकेश्वर महादेव सेवा समिति द्वारा वरिष्ठ व्यापारी नेता मुकेश रस्तोगी को उनके उत्कृष्ट सामाजिक योगदान के लिए विधिवत सम्मानित किया गया। इस पावन अवसर पर उन्हें अंगवस्त्र एवं प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मान प्रदान किया गया, जिससे वातावरण पूर्णतः भक्तिमय और आध्यात्मिक ऊर्जा से ओत-प्रोत हो उठा। समारोह के दौरान व्यापारी नेता श्री रस्तोगी ने भगवान शिव की महिमा का गुणगान करते हुए कहा कि 'भोलेनाथ की कृपा से ही मनुष्य का आत्मबल सुदृढ़ होता है और जीवन में सेवा का मार्ग प्रशस्त होता है।' उन्होंने श्री मलिकेश्वर महादेव सेवा समिति के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह सम्मान उनके लिए प्रेरणा का स्रोत है और आगे भी वे समाजसेवा के कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाते रहेंगे। मलिकेश्वर महादेव सेवा समिति, जो एक प्रतिष्ठित धार्मिक एवं सेवा भाव से ओतप्रोत संस्था है, निरंतर जनकल्याण, धार्मिक जागरूकता और सेवा कार्यों में अग्रणी भूमिका निभा रही है। समिति के संरक्षक भौमेश कुमार, अध्यक्ष अनिल शर्मा, महासचिव सी.पी. श्रीवास्तव, सचिव अशोक त्रिपाठी सहित गिरीश पाण्डेय, जीवन लाल गुप्ता, दिनेश आचार्य, रज्जन लाल, पूनम गुप्ता, कामिनी पटेल, परशुराम मिश्र एवं जगदीश सिंह ने संयुक्त रूप से मुकेश रस्तोगी को सम्मानित करते हुए उन्हें समिति की सदस्यता भी प्रदान की। कार्यक्रम का आयोजन मंदिर परिसर में अत्यंत श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ किया गया। यहां विराजमान भगवान शिव की पवित्र शिवलिंग श्रद्धालुओं की अटूट आस्था का केंद्र है, जहां हर दिन भक्तगण जलाभिषेक, रुद्राभिषेक एवं पूजा-अर्चना कर अपनी मनोकामनाएं पूर्ण होने की कामना करते हैं। मंदिर का दिव्य, शांत और आध्यात्मिक वातावरण मन को अलौकिक शांति प्रदान करता है। मलिकेश्वर महादेव मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल ही नहीं, बल्कि यह सेवा, संस्कार और समर्पण का पावन धाम है, जहां धर्म और समाजसेवा का संगम निरंतर प्रवाहित होता है। यहां आयोजित होने वाले धार्मिक अनुष्ठान, भजन-कीर्तन एवं सेवा कार्य समाज में सकारात्मक ऊर्जा, भाईचारा और आध्यात्मिक चेतना का संचार करते हैं।

प्रधानमंत्री मोदी ने किया गंगा एक्सप्रेसवें का किया उद्घाटन

● यूपी के सबसे बड़े ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट का काम 3.5 साल से कम समय में हुआ पूरा

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

प्रयागराज,हरदोई,रायबरेली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हरदोई से 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। यह यूपी के सबसे बड़ी ग्रीनफील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में से एक है, जिसे 3.5 साल से भी कम समय में पूरा किया गया है। यह एक्सप्रेसवे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ को पूर्वी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से जोड़ता है, जिससे राज्य के विकास को नई गति मिलने की उम्मीद है। दशकों से पूर्वी उत्तर प्रदेश अपनी जनसंख्या और आर्थिक क्षमता के बावजूद अपेक्षाकृत कम विकसित रहा है। गंगा एक्सप्रेसवे इस क्षेत्र की छिपी हुई आर्थिक क्षमता को साकार करने में अहम भूमिका निभाएगा। यह प्रोजेक्ट बेहतर पहुंच, दूरी में कमी और राज्य के विकास कॉरिडोर से मजबूत जुड़ाव के माध्यम से पूर्वी यूपी को नई आर्थिक दिशा देगी। गंगा एक्सप्रेसवे के शुरू होने से यात्रा समय करीब 11 घंटे से घटकर लगभग 6 घंटे रह जाएगा। इससे बिजनेस, लॉजिस्टिक्स, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और पर्यटन क्षेत्रों को व्यापक लाभ होगा। सड़क सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए इस एक्सप्रेसवे पर एआई-सक्षम कैमरा सिस्टम लगाए गए हैं, जो दुर्घटनाओं को रोकने के लिए एडवांस अलर्ट करेंगे। इस प्रोजेक्ट के तहत शाहजहांपुर जिले में 3.5 किमी लंबा इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी तैयार किया गया है, जिससे भारतीय वायुसेना के एयरक्राफ्ट को आपात स्थिति में लैंड कर सकेंगे और इस रणनीतिक कॉरिडोर की क्षमताएं और मजबूत होंगी। 12 जिलों से गुजरने वाला यह छह लेन का एक्सप्रेसवे, जिसे भविष्य में आठ लेन तक विस्तारित किया जा सकता है, बाजारों, स्वास्थ्य सुविधाओं, शिक्षा केंद्रों और पर्यटन स्थलों तक पहुंच को बेहतर बनाएगा। आम नागरिकों को जहां आवश्यक सेवाओं तक तेजी से पहुंच मिलेगी, वहीं व्यापार और उद्योगों को तेज कनेक्टिविटी का लाभ मिलेगा। अदाणी रोड ट्रांसपोर्ट लिमिटेड, जो अदाणी एंटरप्राइजेज लिमिटेड (AEL) का रोड्स बिजनेस है, ने इस परियोजना में 464 किमी, यानी कुल एलाइनमेंट का लगभग 80% हिस्सा विकसित किया। निर्माण के समय में इश प्रोजेक्ट पर 12,000 से ज्यादा श्रमिक तैनात रहे। बाकि हिस्से का निर्माण आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर ने बनाया है। उत्तर प्रदेश सरकार के अनुसार, यह एक्सप्रेसवे

हर वर्ष 25,000-30,000 करोड़ की लॉजिस्टिक्स बचत करेगा, अगले एक दशक में लगभग 3 लाख रोजगार सृजित करेगा और राज्य के जीडीपी में ?1 लाख करोड़ से अधिक का योगदान देगा। इसके साथ ही, यह फ्रेट वेलोसिटी को बढ़ाने और कई क्षेत्रों में इन्वेंट्री होल्डिंग लागत को कम करने में मदद करेगा। यह ट्रंक कॉरिडोर कृषि उत्पादों और अन्य वस्तुओं की तेज आवाजाही सुनिश्चित कर व्यापार प्रवाह को मजबूत करेगा। किसानों और छोटे कारोबारियों को बेहतर बाजार पहुंच और बेहतर मूल्य प्राप्ति में सहायता मिलेगी। गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश की औद्योगिक और कृषि कनेक्टिविटी को मजबूती देने के साथ करीब 8 करोड़ से अधिक लोगों को को फायदा पहुंचाएगा। प्रयागराज और वाराणसी जैसे धार्मिक स्थलों तक पहुंच को भी बेहतर करेगा, जिससे आध्यात्मिक पर्यटन मजबूत होगा।

आईसीएसएसआर के संयुक्त तत्वाधान में दो दिवसीय अंतरराष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस आयोजित

● शिक्षा और शोध ही देंगे देश की आर्थिक प्रगति को गति

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

बरेली/रिठौरा। के.सी.एम.टी. कॉलेज में आई0सी0एस0एस0आर0 के संयुक्त तत्वावधान में थो-दिवसीय अंतरराष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसका विषय 'भारत 2047' वैश्विक साझेदारी, आर्थिक विकास एवं नए भारत का उदय' रहा। कार्यक्रम का शुभारंभ भी सरस्वती के पूजन एवं दीप प्रज्वलन के साथ हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रो. प्रवीण कुमार तिवारी, विशिष्ट अतिथि बरेली कॉलेज की उप-प्राचार्या प्रो. वंदना शर्मा, विभाग प्रचारक आर.एस.एस. श्री कृष्णा जी, डॉ. स्वतंत्र कुमार, महाविद्यालय के चेयरमैन गिरधर गोपाल, प्रबंध निदेशक डॉ. विनय खंडेलवाल, महानिदेशक डॉ. अमरेश कुमार एवं प्राचार्य डॉ. आर.के. सिंह सहित अन्य गणमान्य अतिथियों की गरिमामयी उपस्थिति रही। इस अवसर पर महानिदेशक डॉ. अमरेश कुमार ने सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए सम्मेलन की रूपरेखा प्रस्तुत की। अपने उद्?द्बोधन में मुख्य अतिथि प्रो. प्रवीण कुमार तिवारी ने कहा कि विकसित भारत ञ्च2047 के लिए वैश्विक साझेदारी अत्यंत आवश्यक है तथा शिक्षा और शोध के माध्यम से आर्थिक प्रगति को गति दी जा सकती है। उप-प्राचार्या प्रो. वंदना शर्मा ने शिक्षा को नए भारत के निर्माण की आधारशिला बताते हुए नवाचार और गुणवत्ता पर बल दिया। विभाग प्रचारक श्री कृष्णा जी ने सांस्कृतिक मूल्यों और आधुनिक दृष्टिकोण के संतुलन को नए भारत की पहचान बताया, जबकि डॉ. स्वतंत्र कुमार ने आत्मनिर्भरता एवं नवाचार को आर्थिक विकास का आधार बताया। प्रथम दिवस के द्वितीय सत्र में आयोजित प्रथम तकनीकी सत्र में अध्यक्ष प्रो. अशुतोष प्रिय एवं सह-अध्यक्ष प्रो. सुबोध धवन के मार्गदर्शन में शोधपत्र प्रस्तुत किए गए। प्रो. अशुतोष प्रिय ने अपने अध्यक्षीय वक्तव्य में कहा कि गुणवत्तापूर्ण शोध राष्ट्र के विकास की आधारशिला है तथा विद्यार्थियों को नवाचार की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, वहीं सह-अध्यक्ष प्रो. सुबोध धवन ने प्रतिभागियों को शोध की उपयोगिता और उसके व्यावहारिक पक्ष पर ध्यान देने के लिए प्रेरित किया। इसी क्रम में दूसरे तकनीकी सत्र में अध्यक्ष सी0ए0 ईशिता विद्यार्थी की अध्यक्षता में विभिन्न महाविद्यालयों एवं शहरों से आए शिक्षकों, विद्यार्थियों एवं शोधार्थियों ने अपने-अपने शोध पत्र प्रस्तुत किए। अध्यक्ष सीए ईशिता विद्याथ ने शिक्षा एवं प्रबंधन के क्षेत्र में नवाचार को समय की आवश्यकता बताते हुए शोध को समाज से जोड़ने पर बल दिया व आर्थिक विकास में युवाओं की भूमिका को महत्वपूर्ण बताते हुए व्यावहारिक ज्ञान की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम के अंत में महाविद्यालय के प्रबंध निदेशक डॉ. विनय खंडेलवाल ने धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत किया । संचालन प्रवक्ता मुकुल गुप्ता ने किया। इस प्रकार यह कॉन्फ्रेंस ज्ञान, शोध और पैश्विक सहयोग के माध्यम से विकसित भारत की दिशा में महत्वपूर्ण विचार प्रस्तुत करने में सफल रहा। कल कॉन्फ्रेंस के द्वितीय दिवस पर दो तकनीकी सत्र व समापन सत्र का आयोजन किया जाएगा।

दबंग स्टूडियो संचालक के हनक के सामने बेबस है गोपीगंज थाने कि पुलिस

● पत्रकार के साथ मारपीट और मोबाईल छीनने वाले के ऊपर 48 घंटे बीत जाने के बाद भी दर्ज नहीं हुआ मुकदमा

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

ब्यूरो प्रयागराज। गोपीगंज के दबंग स्टूडियो संचालक के हनक के सामने बेबस हुई गोपीगंज थाने कि पुलिस ,पत्रकार के साथ मारपीट कर मोबाईल छीनने वाले के ऊपर 48 घंटे बीत जाने के बाद भी दर्ज नहीं हुआ मुकदमा जानकारी के मुताबिक बताते चले कि बीते दिन कल गोपीगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत फाटक वाली गली से पीड़ित पत्रकार सरस राजपूत अपने बड़े भाई को दवा दिलाकर वापस घर लौट रहे थे। इसी दौरान फाटक वाली गली के पास कथित रूप से मनबढ़ स्टूडियो संचालक शुभम पाठक अपने तीन अज्ञात साथियों के साथ बीच सड़क पर खड़े होकर हुल्लड़ बाजी करते हुए रास्ता रोक कर पत्रकार सरस राजपूत व उनके पत्रकार भाई के साथ मारपीट करते हुए मोबाईल फोन भी छीन लिया था वही मारपीट के दरमियान पत्रकार के हाथ और आंख में काफी गंभीर चोट आई थी लेकिन गोपीगंज थाने कि पुलिस पत्रकारों का मेडिकल उपचार कराने के बजाय उनको मारपीट के मामले में जॉच के लिए तीन से चार घंटे तक थाने से चौकी और चौकी से थाने के चक्कर लगवाए गए लेकिन ना तो पत्रकारों का पुलिस के द्वारा मेडिकल कराया

गया ना ही उनकी प्राथमिकी दर्ज कि गई अभी तक 48 घंटे बीत जाने के बाद भी गोपीगंज थाने कि पुलिस दबंग स्टूडियो संचालक शुभम पाठक के हनक के सामने बेबस नजर आ रही है अब सवाल यह उठता है आखिर क्या गोपीगंज पुलिस पत्रकारों के हत्या होने का इंतजार कर रही है वही कुछ समाजसेवियों का कहना है कि जो दबंग स्टूडियो संचालक शुभम पाठक भरे बाजार में पत्रकारों के साथ मारपीट करते हुए उनका मोबाईल छीन सकता है वह कुछ भी कर सकता है और तो और 48 घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस अभी तक मुकदमा दर्ज करके दबंग स्टूडियो संचालक शुभम पाठक को गिरफ्तार नहीं कर पा रही जबकि गोपीगंज पुलिस को पता है कि शुभम पाठक का स्टूडियो कहां है और वह कहां मिलेगा फिर भी,वही पत्रकार संगठनों ने घटना की निंदा करते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है यदि कार्यवाही नहीं हुई तो पत्रकार संगठन आंदोलन के लिए बाध्य होगी। क्योंकि भदोही जिले में भी अब पत्रकारों वीके साथ मारपीट के अनेक मामले हो चुके जिससे इन घटनाओं ने प्रेस की स्वतंत्रता और पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा कर दी हैं।

संतुलित उर्वरक एवं जैविक खेती विषय पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

नैनी,प्रयागराज। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान द्वारा आज राष्ट्रीय उर्वरक जागरूकता अभियान के अंतर्गत 'संतुलित उर्वरक उपयोग एवं जैविक खेती' विषय पर जागरुकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य किसानों को रासायनिक उर्वरकों के संतुलित उपयोग, जैविक विकल्पों के महत्व तथा मृदा स्वास्थ्य संरक्षण के वैज्ञानिक उपायों के प्रति जागरूक करना था। इस अवसर पर संस्थान के प्रधान वैज्ञानिक एवं विभागध्यक्ष डॉ. अनंत बहादुर , वरिष्ठ वैज्ञानिको, डॉ. प्रदीप करमाकर, हिरनम्य दास एवं वैज्ञानिक डॉ. सुजान मजूमदार उपस्थित रहे। साथ ही, कृषि विज्ञान केंद्र, प्रयागराज से डॉ. मुकेश मसीह, निमिषा नटराजन एवं . आर. पी. सिंह ने भी कार्यक्रम में सहभागिता कर किसानों को तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान किया। कार्यक्रम के दौरान वैज्ञानिकों द्वारा किसानों को जैविक खाद के उपयोग एवं उसके दीर्घकालिक लाभों के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई। इस कार्यक्रम में राज्य स्तर कृषि अधिकारी भी उपस्थित रहे डॉ. अनंत बहादुर ने संतुलित उर्वरक प्रयोग करने की आवश्यकता और उसके विभिन्न विकल्पों पर प्रकाश डाला।

इसके लिए हरी खाद, जैविक खाद, वर्मी कंपोस्ट इत्यादि तमाम जैविक आयामो के प्रयोग पर बल दिया। जैविक एवं प्राकृतिक खेती के सिद्धांतों पर प्रकाश डालते हुए बताया कि यह पद्धति न केवल मृदा की उर्वरता को बनाए रखती है, बल्कि उत्पादन की गुणवत्ता भी बढ़ाती है। डॉ. सुजान मजूमदार किसानों को ट्राइकोडर्मा एवं सूक्ष्मजीव आधारित जैव उर्वरकों के उपयोग के विषय में जानकारी एवं प्रशिक्षण दिया तथा बताया कि ये तकनीकें फसलों को रोगों से बचाने और उत्पादन बढ़ाने में सहायक हैं।

संक्षिप्त खबरें

सड़क सुरक्षा को लेकर सख्त हुए डीएम, चलेंगे विशेष जांच अभियान

प्रमुख चौराहों पर लगेंगे CCTV कैमरे, ट्रैफिक व्यवस्था होगी मजबूत

बलिया। जिले में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने और यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने सख्त रुख अपनाया है। बुधवार को विकास भवन सभागार में आयोजित जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में उन्होंने अधिकारियों को रोड सेफ्टी को लेकर कड़े निर्देश दिए। डीएम ने कहा कि सड़क सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए और आमजन को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए व्यापक स्तर पर अभियान चलाया जाए। उन्होंने निर्देश दिया कि नियमित जांच अभियान चलाकर नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। बैठक में खास तौर पर स्कूल बसों की सुरक्षा पर जोर दिया गया। डीएम ने सभी स्कूल बसों का फिटनेस टेस्ट अनिवार्य रूप से कराने के निर्देश दिए, ताकि बच्चों की सुरक्षा में किसी प्रकार की चूक न हो। उन्होंने यह भी कहा कि मुख्य सड़कों के किनारे संचालित विद्यालयों के सामने चेतावनी और सूचना से संबंधित साइन बोर्ड अनिवार्य रूप से लगाए जाएं। इसके अलावा लोक निर्माण विभाग (PWD) को निर्देशित किया गया कि जिले के सभी सरकारी विद्यालयों और अस्पतालों तक पहुंचने वाले मार्गों को सुगम और सुरक्षित बनाया जाए, ताकि आम लोगों को किसी प्रकार की परेशानी न हो।जिलाधिकारी ने जिले के प्रमुख चौराहों पर जल्द से जल्द CCTV कैमरे लगाने के भी निर्देश दिए, जिससे यातायात व्यवस्था की प्रभावी निगरानी की जा सके और नियमों के पालन को सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने स्पष्ट किया कि सड़क सुरक्षा के मामले में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करें। बैठक में आरटीओ अरुण कुमार राय, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मनीष कुमार सिंह सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

MCD दफ्तर की तीसरी मंजिल से कूदकर ASI ने दी जान, 6 महीने से थे सस्पेंड

दिल्ली। दिल्ली नगर निगम का शाहदरा उत्तरी जोन पिछले डेढ माह से विवादों में बना हुआ है। पहले भष्टाचार के मामलों को लेकर इस जोन के अधिकारी सीबीआई के निशाने पर रहे। अब बुधवार शाम को निगम के निलंबित एएसआई ने ड्यूटी पर बहाल न किए जाने पर तीसरी मंजिल से नीचे कूदगर खुदकुशी कर ली। मृतक की पहचान राजकुमार सोलंकी के रूप में हुई है। मृतक के स्वजन का आरोप है कि एएसआई का शव करीब दो घंटे तक फर्श पर पड़ा रहा। किसी ने भी अस्पताल में भर्ती नहीं करवाया। निगम उपायुक्त समेत अन्य अधिकारी मदद करने के बजाय चुपचाप वहां से निकल गए। वेलकम थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है। राजकुमार अपने परिवार के साथ सबोली गांव में रहते थे। परिवार में पत्नी व एक बेटा है। राजकुमार निगम के डेम्स विभाग में तैनात थे। मृतक के भाई महेंद्र कुमार ने बताया कि राजकुमार सुंदर नगरी वार्ड में तैनात थे। तीन माह पहले तत्कालीन निगम उपायुक्त अभिषेक मिश्रा ने उन्हें सड़क पर ठीक तरह से सफाई न करवाने के आरोप में निलंबित कर दिया था। उसके बाद से ही राजकुमार परेशान चल रहे थे। वह जोन कार्यालय में निगम उपायुक्त समेत अन्य अधिकारियों के चक्कर लगा रहे थे। आरोप है कि अधिकारी उनसे ड्यूटी पर बहाल करने के लिए रुपये की मांग कर रहे थे। उनके पास रुपये थे नहीं। इस बीच सीबीआई ने चार लाख रुपये की रिश्वत लेने के एक मामले में उपायुक्त कर्नल अभिषेक मिश्रा व प्रशासनिक अधिकारी को गिरफ्तार किया था। इसक बाद राजकुमार नई उपायुक्त ममता यादव के कार्यालय के चक्कर काटने लगे। कोई सुनवाई नहीं हुई। बुधवार को राजकुमार निगम उपायुक्त कार्यालय गए थे। शाम करीब साढ़े चार बजे तीसरी मंजिल से नीचे कूदकर जान दे दी।

जमीन अधिग्रहण को चुनौती देने वाली मदरसा की याचिका खारिज

● हाई कोर्ट ने बताया न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुरादाबाद के गांव मंगूपुरा में जमीन अधिग्रहण को चुनौती देने वाली मदरसा जामिया अरबिया हयातुल उलूम की याचिका खारिज कर दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति महेश चंद्र त्रिपाठी और न्यायमूर्ति विवेक सरन की खंडपीठ ने दिया है। कोर्ट ने कहा, भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही बहुत पहले ही पूरी हो चुकी है और अब लंबी अवधि बाद हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि एक बार जब भूमि का कब्जा लेकर वह राज्य में निहित हो जाती है, तो उसे अधिग्रहण से मुक्त नहीं किया जा सकता। याची द्वारा बार-बार याचिकाएं दायर करने को अदालत ने न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग माना और याचिका खारिज कर दी। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण ने 'नया मुरादाबाद' योजना के तहत आवासीय और व्यावसायिक कालोनी विकसित करने के लिए 175.44 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया था। मदरसे ने तर्क दिया था कि उसकी भूमि पर 1979-80 से शैक्षणिक संस्थान चल रहा है और अधिग्रहण की कार्यवाही नए भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 की धारा 24(2) के तहत रद हो जानी चाहिए, क्योंकि उन्हें मुआवजा नहीं मिला और भौतिक कब्जा भी नहीं लिया गया। अदालत ने पाया कि याची ने इस अधिग्रहण को चुनौती देने के लिए पहले भी चार बार याचिकाएं दायर की थीं, जो अलग-अलग समय पर निस्तारित अथवा खारिज कर दी गई थीं। प्राधिकरण की दलील थी कि भूमि का कब्जा सात नवंबर 2000 को ही लिया जा चुका था और निर्धारित मुआवजे की राशि भी सरकारी खजाने में जमा करा दी गई थी। यह भी बताया गया कि अधिगृहीत भूमि पर पहले ही एक आवासीय कालोनी विकसित की जा चुकी है और कई लोगों को भूखंड आवंटित किए जा चुके हैं। हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के इंदौर डेवलपमेंट अथारिटी बनाम मनोहर लाल मामले में दिए गए फैसले का हवाला देते हुए कहा कि 2013 के अधिनियम की धारा 24(2) का उपयोग उन मामलों को पुनर्जीवित करने के लिए नहीं किया जा सकता, जो पहले ही समाप्त हो चुके हैं।

प्रयागराज में ट्रक ने बोलेरो में मारी टक्कर

बाल-बाल बचे भाजपा विधायक पीयूष रंजन

दुर्घटना/हादसा

प्रयागराज। भाजपा विधायक पीयूष रंजन निषाद के काफिले में सोमवार की रात एक ट्रक घुस गया और उनकी बोलेरो क्षतिग्रस्त हो गई। विधायक और उनके सुरक्षाकर्मी बाल-बाल बच गए। पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेते हुए मीरजापुर निवासी चालक विराट मौर्या को गिरफ्तार कर लिया है।करछना के विधायक पीयूष रंजन सोमवार रात करीब साढ़े 11 बजे अरैल बांध रोड पर एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जा रहे थे। आरोप है कि इसी दौरान तेज रफ्तार एक ट्रक काफिले में घुस आया और उनकी बोलेरो में जोरदार टक्कर मार दी। सुरक्षाकर्मियों ने ट्रक को घेर लिया। विधायक का कहना है कि यह सुनियोजित तरीके से हमले का प्रयास है। इससे पहले अप्रैल 2025 में भी उनके काफिले के साथ इस तरह की घटना हो चुकी है।एसीपी करछना सुनील कुमार सिंह का कहना है कि विधायक की तहरीर पर केस दर्ज किया गया है। ट्रक को कब्जे में लेते हुए उसके चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है।

प्रियांश आर्य के छक्के से फैन घायल

● चेहरे से बहा खून; स्टैंड्स में मची अफरा-तफरी

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

आईपीएल 2026 में पंजाब किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुल्लांपुर में खेले गए मुकाबले के दौरान एक दर्दनाक घटना देखने को मिली। पंजाब किंग्स के युवा बल्लेबाज प्रियांश आर्य के जोरदार छक्के से स्टैंड में बैठे एक बुजुर्ग फैन के चेहरे पर गेंद जा लगी, जिससे वह घायल हो गए।

प्रियांश आर्य के छक्के से बुजुर्ग फैन घायल

ये घटना मैच के दूसरे ओवर में हुई, जब नांद्रे बर्गर गेंदबाजी कर रहे थे। प्रियांश आर्य ने लंबा शॉट खेला, लेकिन गेंद सीधे दर्शक दीर्घा में बैठे बुजुर्ग फैन के चेहरे पर जा लगी। टक्कर इतनी तेज थी कि उनके चेहरे से तुरंत खून बहने लगा और शर्ट भी खून से लाल हो गई। आसपास बैठे दर्शकों ने तुरंत मदद की और बाद में उन्हें स्थानीय अस्पताल ले जाया गया।

राजस्थान ने पंजाब को उसके घर पर रौंदा

वहीं मैच की बात करें तो प्रियांश आर्य ने तेजतर्रार बल्लेबाजी करते हुए 11 गेंदों में 29 रन बनाए, जिसमें पांच चौके और एक छक्का शामिल रहा। हालांकि वह ज्यादा देर टिक नहीं सके और तीसरे ओवर में जोफ्रा आर्चर का शिकार बन गए। पहले बल्लेबाजी करते हुए पंजाब किंग्स ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 222 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। मार्कस स्टोइनिस ने सिर्फ 22 गेंदों में नाबाद 62 रन ठोके, जबकि प्रभसिमरन सिंह ने 59 रन की शानदार पारी खेली।

सेंट स्टीफंस में भर्ती प्रक्रिया पर रोक

● नैनो मेडिकल संस्थान और विदेशी सेमेस्टर प्रोग्राम को मिली मंजूरी

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

नई दिल्ली। दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) की कार्यकारी परिषद (ईसी) की 1282वीं बैठक बुधवार को कुलपति योगेश सिंह की अध्यक्षता में आयोजित हुई, जिसमें भर्ती, इंफ्रास्ट्रक्चर और अकादमिक सुधारों से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए। बैठक में सबसे बड़ा मुद्दा सेंट स्टीफंस कॉलेज द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में शार्टलिस्टिंग नियमों के उल्लंघन का रहा, जिस पर ईसी ने सख्त रुख अपनाया। ईसी ने पाया कि कॉलेज ने प्रति अनारक्षित पद 70 उम्मीदवारों को शार्टलिस्ट किया, जबकि विश्वविद्यालय के तय नियम के अनुसार पहली रिक्ति के लिए 40 और बाद की रिक्तियों के लिए 20 उम्मीदवारों को ही शार्टलिस्ट किया जाना चाहिए। इसे नियमों के विरुद्ध मानते हुए परिषद ने कॉलेज को फिलहाल नियुक्ति आदेश जारी न करने के निर्देश दिए हैं। मामले की जांच के लिए एक समिति गठित की गई है, जिसकी अध्यक्षता कुलाधिपति के नामित सदस्य प्रो. इंदर मोहन कपाही करेंगे। समिति में अमन कुमार, डॉ. मोनिका अरोड़ा और डॉ. एल.एस. चौधरी सदस्य होंगे, जबकि संयुक्त रजिस्ट्रार (कॉलेज) सचिव होंगे।

मौरिस नगर में 174.20 करोड़ से बनेगा नया संस्थान

बैठक में मौरिस नगर स्थित इंस्टीट्यूट आफ नैनो मेडिकल साइंसेज के लिए 174.20 करोड़ रुपये की लागत से नए भवन निर्माण को सैद्धांतिक मंजूरी दी गई। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का काम सीपीडब्ल्यूडी को सौंपा गया है। इसके अलावा, ढाका कॉम्प्लेक्स में स्टूडियो अपार्टमेंट निर्माण के लिए 233.35 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमान को भी मंजूरी दी गई, जबकि दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनामिक्स में दो शैक्षणिक ब्लाकों के निर्माण के लिए संशोधित क्षेत्र स्वीकृत किया गया। ईसी ने विदेशी विश्वविद्यालयों के साथ सेमेस्टर अवे प्रोग्राम शुरू करने के प्रस्ताव पर एक समिति गठित की है, जिसकी अध्यक्षता डीन आफ कॉलेजेज प्रो. बलराम पाणी करेंगे। इस योजना के तहत डीयू के छात्र एक सेमेस्टर विदेश में पढ़ सकेंगे और वहां अर्जित क्रेडिट उनकी डिग्री में जोड़े जाएंगे।

महाराष्ट्र में ऑटो और टैक्सी चालकों के लिए मराठी अनिवार्य

मुंबई। महाराष्ट्र में ऑटो और टैक्सी चालकों के लिए मराठी सीखना अनिवार्य होगा, हालांकि लाइसेंस वाले ऑटो-रिक्शा और टैक्सी चालकों को राहत दी गई है। मराठी नहीं जानने पर तत्काल लाइसेंस रद करने के नियम को सरकार ने रोक दिया है। प्रदेश सरकार के मंत्री प्रताप सरनाइक ने मंगलवार को बताया कि महाराष्ट्र परिवहन विभाग एक मई से 15 अगस्त तक विशेष सत्यापन अभियान शुरू करेगा, ताकि राज्य में ऑटो-रिक्शा और टैक्सी चालकों के लिए मराठी अनिवार्य बनाने के निर्णय का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सके। मंत्री ने स्पष्ट किया कि आटो-रिक्शा और टैक्सी चालकों के लिए मराठी अनिवार्य करने का नियम लागू हो रहा है, लेकिन तुरंत लाइसेंस रद करने के बजाय ड्राइवरों को मराठी सिखाने के लिए प्रशिक्षित करने पर जोर दिया जाएगा।उन्होंने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि आटो और टैक्सी यूनियनों के प्रतिनिधियों ने इस निर्णय को पूर्ण समर्थन दिया है।राज्य के सभी 59 क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों (आरटीओ) में अतिरिक्त परिवहन आयुक्त रविंद्र गायकवाड़ की अध्यक्षता वाली समिति की निगरानी में अभियान अभियान चलाया जाएगा।

सोनी पल पर शुरू हो रही साहस और भक्ति के प्रतीक 'संकट मोचन हनुमान

● इस महाकाव्य के केंद्र में भक्ति, शक्ति और साहस के सच्चे 'सुपरहीरो' भगवान हनुमान हैं

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

दया शंकर त्रिपाठी की रिपोर्ट

ब्यूरो प्रयागराज। भारत का लोकप्रिय एंटरटेनमेंट चैनल सोनी पल, जो अलग-अलग प्रकार के कार्यक्रमों के जरिए दर्शकों का मनोरंजन कर रहा है, ने गर्व और उत्साह के साथ संकट मोचन हनुमान के प्रसारण की घोषणा की है। यह एक कालजयी पौराणिक धारावाहिक है, जो पीढ़ियों से लोगों को प्रेरित करता रहा है। सोनी पल पर इसके शुरू होने के साथ दर्शकों को भगवान हनुमान की साहसिक यात्रा को एक बार फिर नए अंदाज में देखने का अवसर मिलेगा। इस महाकाव्य के केंद्र में भक्ति, शक्ति और साहस के सच्चे 'सुपरहीरो' भगवान हनुमान हैं। उनकी जीवन यात्रा वीरता और अटूट निष्ठा से भरी है, जो हर पीढ़ी के दर्शकों को गहराई से जोड़ती है और उन्हें आस्था, धर्म व निस्वार्थ सेवा जैसे शाश्वत मूल्यों की याद दिलाती है। यह कहानी भगवान

हनुमान की उस अद्भुत यात्रा को दिखाती है, जहाँ वे निडर रक्षक के रूप में सामने आते हैं। भगवान राम के प्रति उनकी भक्ति असीम है और बुराई के खिलाफ उनका साहस बेजोड़ है। शानदार दृश्यों और दमदार कहानी के साथ यह सिर्फ एक धारावाहिक नहीं, बल्कि एक प्रेरणादायक अनुभव है, जो दिल और आत्मा को छू जाता है। इस धारावाहिक की शानदार स्टार कास्ट ने इन पौराणिक किरदारों को पूरी सच्चाई और जीवंतता के साथ पर्दे पर उतारने का काम किया है। गगन मलिक भगवान राम के रूप में गरिमा और मर्यादा को दर्शाते हैं; देब्लिना चटर्जी, माता सीता की करुणा और शक्ति को खूबसूरती से प्रस्तुत करती हैं। वहीं निर्भय वाधवा भगवान हनुमान की दिव्य ऊर्जा को जीवंत करते हैं और सौरव गुर्जर रावण के रूप में दमदार अभिनय करते नजर आते हैं। ये सभी कलाकार मिलकर एक ऐसी दुनिया रचते हैं, जो जादुई होने के साथ-साथ हमारी परंपराओं से गहराई से जुड़ी हुई है। भगवान हनुमान को परम रक्षक और दिव्य सुपरहीरो के रूप में प्रस्तुत करने वाला संकट मोचन हनुमान, अपने शाश्वत संदेश और यादगार अभिनय से दर्शकों को मंत्रमुग्ध करने का वादा करता है। सोनी पल दर्शकों को इस दिव्य यात्रा में शामिल होने के लिए आमंत्रित करता है, जहाँ भगवान हनुमान की गाथा एक बार फिर टीवी स्क्रीन पर लौट रही है, जो पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली, प्रेरणादायक और प्रासंगिक है। यह शो 4 मई से रात 9 बजे, दर्शकों को हनुमान जी की कहानी को फिर से जीने और भक्ति की भावना को दोबारा महसूस करने का मौका देगा।

मुंबई में धड़ाम हुए तरबूज के दाम, एक ही परिवार के चार लोगों की मौत के बाद लोगों ने बनाई दूरी

नवी मुंबई के फलों के बाजार में तरबूज की कीमतें अचानक गिरकर 7 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई हैं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि, पिछले हफ्ते मुंबई में बिरयानी और तरबूज खाने से एक ही परिवार के चार लोगों की मौत होने की खबर सामने आई थी। इसके बाद से तरबूज की मांग में भारी गिरावट आ गई है। गर्मियों में सबसे ज्यादा खाया जाने वाला यह फल, इस वक्त नवी मुंबई के APMC में 5 से 7 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से बिक रहा है। जबकि यह मंडी एशिया के सबसे बड़े थोक कृषि बाजारों में से एक है। मांग और दाम में कमी आने से व्यापारियों को भारी आर्थिक नुकसान हो रहा है। आम तौर पर यह फल थोक में 10-35 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव बिकता है, जबकि खुदरा कीमतें 30 से 100 रुपये प्रति किलोग्राम के बीच होती हैं। मालूम हो कि, दक्षिण मुंबई के रहने वाले अब्दुल्लाह डोकड़िया (40), उनकी पत्नी नसरीन डोकड़िया (35) और बेटियां आईशा (16) व जैनब (13) ने शनिवार रात अपने घर पर मिलन-समारोह के बाद तरबूज के टुकड़े खाए थे। इसके बाद सभी को जोरदार उल्टी और दस्त की शिकायत हुई, और कुछ ही घंटों के भीतर, इलाज के दौरान चारों की मौत हो गई।

ट्रंप ने ईरान को धमकाते हुए कहा- इनको समझौता करना नहीं आता

● अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की आलोचना की है, कहा कि वह परमाणु-रहित समझौते को ठीक से नहीं संभाल पा रहा है।

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

अमेरिका और ईरान के बीच सीजफायर को लेकर कोई भी समझौता अभी तक नहीं हुआ है। इसी बात को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने ईरान की आलोचना की है। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, 'ईरान अपने मामलों को ठीक से संभाल नहीं पा रहा है। उन्हें पता ही नहीं है कि परमाणु-रहित समझौता कैसे किया जाता है। बेहतर होगा कि वे जल्द ही समझदारी दिखाएं!'

ट्रंप ने की ईरान की आलोचना

राष्ट्रपति ट्रंप ने बुधवार को चल रही बातचीत को लेकर ईरान के रवैये की आलोचना की है। ट्रंप के पोस्ट से साफ है कि ईरान शांति समझौता करने के लिए परमाणु के मुद्दे को लेकर बैठा है। अमेरिका और ईरान के बीच शांति-वार्ता परमाणु मुद्दे पर ही अटक रही है। ट्रंप ने ईरान के प्रति रुख को और कड़ा कर दिया है। खबरों के मुताबिक, उन्होंने अपने सहयोगियों को एक लंबी नाकेबंदी की रणनीति तैयार करने का निर्देश दिया है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, ट्रंप की योजना कम समय के लिए दबाव बनाने वाले उपायों से हटकर, लगातार आर्थिक और सैन्य दबाव बनाने की ओर एक बदलाव है, जिसका मकसद ईरान के क्षेत्रीय प्रभाव को सीमित करना है। अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध के एक महीने से ज्यादा चलने के बाद अब दोनों देशों के बीच होर्मुज स्ट्रेट की नाकाबंदी को लेकर तनातनी है। यह नाकेबंदी, जो पहले से ही अहम बंदरगाहों और समुद्री रास्तों को प्रभावित कर रही है, अब इसे एक अस्थायी उपाय के बजाय एक लंबे समय तक चलने वाले अभियान के तौर पर पेश किया जा रहा है।

परमाणु मुद्दे पर बाद में होगी बातचीत?

खबरों के मुताबिक, ईरान ने इस हफ्ते की शुरुआत में US को एक नया प्रस्ताव भेजा है। इस प्रस्ताव में होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से खोलने और संघर्ष को खत्म करने पर जोर दिया गया है, जबकि परमाणु बातचीत को बाद के चरण के लिए टाल दिया गया है। एक्सियोस की एक रिपोर्ट के अनुसार, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने पाकिस्तान, मिस्र, तुर्की और कतर के मध्यस्थों को बताया कि US की मांगों पर कैसे प्रतिक्रिया दी जाए, इस पर ईरान के नेतृत्व के भीतर कोई आम सहमति नहीं है। US ने कम से कम एक दशक के लिए यूरेनियम संवर्धन को रोकने और ईरान से संवर्धित यूरेनियम को हटाने की मांग की है।

ई-रिक्शा वालों के लिए नया नियम ला रही दिल्ली सरकार

● 15 मई से शुरू होगा रजिस्ट्रेशन

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

नई दिल्ली। दिल्ली में ई-रिक्शा का रजिस्ट्रेशन 15 मई से शुरू होगा। राज्य सरकार राजधानी के लिए समग्र ई-रिक्शा नीति लाने पर भी काम कर रही है। दिल्ली के परिवहन मंत्री डॉ. पंकज सिंह ने यह घोषणा ई-रिक्शा निर्माता, डीलर और चालकों की तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित बैठक में की। ई-रिक्शा का रजिस्ट्रेशन चार महीने से बंद है। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में सुधार के लिए सरकार ने उसपर अस्थाई रोक लगाई है। बैठक में यह भी तय हुआ कि दिल्ली की सड़कों पर जाम का कारण बन रहे ई-रिक्शा के सही संचालन के लिए चालक संगठन तथा परिवहन विभाग मिलकर काम करेंगे। मंत्री ने संबंधित विषयों को संज्ञान में लाने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल मेनुफेक्चुरर्स सोसाइटी के महासचिव राजीव तुली का धन्यवाद किया।

कितना होगा ई-रिक्शा का न्यूनतम किराया?

इलेक्ट्रिक व्हीकल फेडरेशन के चेयरमैन अनूज शर्मा ने बताया कि चार्जिंग स्टेशन और पार्किंग स्थलों को बढ़ाने पर सहमति बनी है। चालकों को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए ऋण व सब्सिडी पर विचार चल रहा है। ई-रिक्शा का न्यूनतम किराया 10 से 20 रुपये के बीच रखने का प्रस्ताव है। चालकों के लिए यूनिफार्म लागू करने पर जोर दिया गया, जिसे फेडरेशन की ओर से आधी कीमत पर उपलब्ध कराने की योजना है। बैठक में कंफेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के महासचिव व चांदनी चौक सांसद प्रवीन खंडेलवाल ने भरोसा दिलाया कि ई-रिक्शा नीति ऐसी होगी जिससे किसी का रोजगार प्रभावित न हो। नीति निर्माण से पहले सभी हितधारकों से विमर्श होगा। इस मौके पर इलेक्ट्रिक व्हीकल मेनुफेक्चुरर्स सोसाइटी के अध्यक्ष अश्वनी सहगल, उपाध्यक्ष पवन कक्कड़ और नितिन कपूर ने बातें रखी।

मारपीट के मामले में फरार वारंटी गिरफ्तार

सरायममरेज/प्रयागराज। पुलिस टीम ने मारपीट के मामले में वांछित चल रहे एक वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान गिरीश चन्द्र यादव (36 वर्ष), पुत्र बनवारी लाल यादव, निवासी ग्राम हरीपुर पट्टी, थाना सरायममरेज, कमिश्नरेट प्रयागराज के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार, अभियुक्त के खिलाफ मारपीट से संबंधित मामला दर्ज था, जिसमें वह काफी समय से फरार चल रहा था।

नींद उड़ाएंगी गर्म रातें, सिर्फ दिल्ली-NCR नहीं पूरे देश में 40 दिन सताएगी भीषण गर्मी

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

नई दिल्ली। आने वाले दो दशक दिल्ली और एनसीआर ही नहीं, पूरे भारत के लिए जलवायु के लिहाज से खासे चुनौतीपूर्ण होने वाले हैं। थिंक टैंक काउंसिल आन एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वाटर (सीईईडब्ल्यू) द्वारा तैयार किए गए देश के पहले एआई- संचालित क्लाइमेट इंटेलिजेंस प्लेटफार्म ''क्रेविस'' (सीआरएवीआइएस) के हालिया आंकड़ों ने गंभीर चेतावनी जारी की है। इस प्लेटफार्म के अनुसार त्वरित जलवायु परिवर्तन के कारण अगले 20 वर्षों में प्रति वर्ष 15 से 40 अतिरिक्त अत्यधिक गर्म दिन देखे जा सकते हैं। ये 1981-2010 की जलवायु आधारभूत स्थिति की तुलना में अधिक होंगे।

बिजली की मांग में होगी भारी बढ़ोतरी

केवल दिन ही नहीं, बल्कि रातों के तापमान में भी काफी बढ़ोतरी का अनुमान है। विश्लेषण के अनुसार, कई क्षेत्रों में असामान्य रूप से गर्म रातों की संख्या में सालाना 20 से 40 दिनों का इजाफा हो सकता है। गर्म रातें मानव स्वास्थ्य के लिए अधिक खतरनाक होती हैं क्योंकि ये सूर्यास्त के बाद शरीर को ठंडा होने का मौका नहीं देतीं, इससे श्रमिकों की उत्पादकता और जनस्वास्थ्य पर भी सीधा असर पड़ता है। उदाहरण के तौर पर, दिल्ली में अगले 25 वर्षों में गर्म रातों की संख्या वर्तमान के 180 दिनों से बढ़कर 210 से अधिक हो सकती है, जिससे बिजली की मांग में भारी बढ़ोतरी होगी।

आतंक पीड़ितों के पुनर्वास के लिए एक समान की मांग दिल्ली हाई कोर्ट ने ठुकराई

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

नई दिल्ली। सरकारी नौकरियों में आरक्षण और आतंकी हमलों से प्रभावित लोगों के पुनर्वास के लिए एक समान नीति बनाने की मांग वाली जनहित याचिका पर विचार करने से दिल्ली हाई कोर्ट ने इन्कार कर दिया। मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय व न्यायमूर्ति तेजस करिया की पीठ ने कहा कि नीतिगत निर्णय से जुड़े मामले पर अदालत इस तरह के निर्देश जारी नहीं कर सकती। यह सरकार के अधिकार क्षेत्र और विशेषाधिकार के दायरे में आते हैं। पीठ ने पूछा कि सरकारी नौकरी में दो प्रतिशत आरक्षण का अधिकार कहां से मिल रहा है? पीठ ने कहा कि पहले से मौजूद अधिकारों की सुरक्षा और नए अधिकार बनाने में अंतर होता है। पीठ ने याचिकाकर्ता से सवाल किया कि आप कह रहे हैं कि मृतकों के परिवार के सदस्यों को नौकरी देने के लिए

एक नीति बनाई जाए और दो प्रतिशत आरक्षण दिया जाए। यह सब नीति से जुड़ा मामला है। क्या कोर्ट इस तरह के निर्देश जारी कर सकते हैं? अदालत ने उक्त टिप्पणी व सवाल याचिकाकर्ता संगठन साउथ एशियन फोरम फार पीपल अगेंस्ट टेरर की याचिका पर की। याचिकाकर्ता संगठन की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश गुप्ता ने कहा कि वे सरकार की निष्क्रियता से दुखी हैं और उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय सहित कई अधिकारियों को पत्र लिखे हैं, लेकिन इसके बावजूद आतंकी हमलों के पीड़ितों के परिवारों को मुआवजा देने, चिकित्सा सहायता या सरकारी नौकरियों में रियायतें देने के लिए एक समान नीति बनाने की दिशा में कोई कार्रवाई नहीं की गई है। हालांकि, पीठ ने कहा कि मांगी गई राहतें सरकार के अधिकार क्षेत्र में आती हैं और कोर्ट नीति तय नहीं कर सकता। पीठ ने याचिका खारिज करते हुए याचिकाकर्ता संगठन को केंद्र और दिल्ली सरकार के समक्ष प्रतिवेदन देने की छूट दी। साथ ही प्रतिवेदन पर अधिकारियों को उचित आदेश जीर करने को कहा।